

## **ACTION IMPLEMENTATION REPORT – 03**

**28<sup>th</sup> June 2024**

### **NATIONAL GREEN TRIBUNAL, Principal Bench, New Delhi**

(In Review Application no. RA-06/2022 & Original Application No. 226/2020 {Earlier O.A. 68/2020(CZ)} titled as “Om Puri Vs Hindustan Zinc Limited (HZL) & Others.”)

1. The District Magistrate Bhilwara, vide its orders dated 21<sup>st</sup> June 2024, has approved financial sanctions for 10 activities mentioned in the Action Taken Report as submitted by the Joint Committee amounting to **Rs. 890.2 lakhs** out of a total of 23 projects which had been identified amounting to a total of Rs. 16.25 Crores. Hindustan Zinc Limited had, in compliance with the Hon’ble NGT’s orders dated 02.02.2022 and 29.03.2022, deposited the amount of Rs. 25 Crores on 08.09.2022.

The details of the individual projects with their respective project IDs and corresponding final sanction value are appended below:

| <b><u>S.No</u></b> | <b><u>Work ID</u></b>                                                                                       | <b><u>Name of Work</u></b>                                                                                                                                                                                                                     | <b><u>Final Sanction<br/>(In Rs. Lakhs)</u></b> |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 01                 | JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/MH/10                                                                             | Door to Door Survey by Medical Dept and distribution of Health card                                                                                                                                                                            | 5                                               |
| 02                 | JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/MH/11.1                                                                           | Renovation of CHC Gulabpura as Model Hospital and Equipment proc.                                                                                                                                                                              | 209.37                                          |
| 03                 | JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/MH/11.2/1<br>and<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/MH/11.2/2                           | Procurement of sonography equipment and spirometry machine for CHC Gulabpura                                                                                                                                                                   | 26.5                                            |
| 04                 | JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/9/1 and<br>JC/HZL/RP/2024<br>-25/PHED/9/2                                    | Construction of Elevated Service Reservoir (ESR) and pipeline -02 nos. for Kheda Palola (50 KL) and Bherukheda-II (100 KL)                                                                                                                     | 115.05                                          |
| 05                 | JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/AH/74/,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/AH/75 and<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>2s/AH/76 | Development of Veterinary Hospital Hurda as Model Veterinary Hospital and Equipment supply, Veterinary Hospital Agucha:- Construction work and renovation and Veterinary Hospital Kothiya: -To construct Cattle shed along with boundary wall. | 80.94                                           |
| 06                 | JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/AG/1.1, 2<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/AG/2.2,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-             | Gypsum treatment and green manure application at Agucha and Khedapalola                                                                                                                                                                        | 30.32                                           |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | 25/AG/1.2 and<br>JC/HZL/RP/202<br>4-<br>25/AG/2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                              |       |
| 07 | JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/3/1,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/3/2,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/3/3,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/3/4,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/3/5,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/3/6,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/3/7,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/3/8,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/3/9,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/3/10<br>and<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/3/11 | Restoration of non-functional and repairable roof<br>top rainwater harvesting structures (RTRWHS)-11<br>Nos. | 21.57 |
| 08 | JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/3/1,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/3/2,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/3/3,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/3/4,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/3/5,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-                                                                                                                                                                                                                           | RO plant installation with 07-year O&M-14 nos.<br>each having 0.5KLPH at 14 identified villages              | 315   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | 25/PHED/3/6,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/3/7,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/3/8,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/3/9,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/7/10,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/3/11,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/3/12,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/7/13<br>and<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/7/14 |                                                                                 |      |
| 09 | JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/17/1,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/17/2,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/17/3,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/17/4,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/17/5,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/17/6,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/17/7,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/17/8,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/17/9,<br>JC/HZL/RP/2024<br>- | Water Kundi (s) for livestock drinking water at 30 identified village locations | 12.9 |

|  |                             |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|
|  | 25/17/10,<br>JC/HZL/RP/2024 |  |  |
|  | -                           |  |  |
|  | 25/17/11,<br>JC/HZL/RP/2024 |  |  |
|  | -                           |  |  |
|  | 25/17/12,<br>JC/HZL/RP/2024 |  |  |
|  | -                           |  |  |
|  | 25/17/13,<br>JC/HZL/RP/2024 |  |  |
|  | -                           |  |  |
|  | 25/17/14,<br>JC/HZL/RP/2024 |  |  |
|  | -                           |  |  |
|  | 25/17/15,<br>JC/HZL/RP/2024 |  |  |
|  | -                           |  |  |
|  | 25/17/16,<br>JC/HZL/RP/2024 |  |  |
|  | -                           |  |  |
|  | 25/17/17,<br>JC/HZL/RP/2024 |  |  |
|  | -                           |  |  |
|  | 25/17/18,<br>JC/HZL/RP/2024 |  |  |
|  | -                           |  |  |
|  | 25/17/19,<br>JC/HZL/RP/2024 |  |  |
|  | -                           |  |  |
|  | 25/17/20,<br>JC/HZL/RP/2024 |  |  |
|  | -                           |  |  |
|  | 25/17/21,<br>JC/HZL/RP/2024 |  |  |
|  | -                           |  |  |
|  | 25/17/22,<br>JC/HZL/RP/2024 |  |  |
|  | -                           |  |  |
|  | 25/17/23,<br>JC/HZL/RP/2024 |  |  |
|  | -                           |  |  |
|  | 25/17/24,<br>JC/HZL/RP/2024 |  |  |
|  | -                           |  |  |
|  | 25/17/25,<br>JC/HZL/RP/2024 |  |  |
|  | -                           |  |  |
|  | 25/17/26,<br>JC/HZL/RP/2024 |  |  |
|  | -                           |  |  |
|  | 25/17/27,<br>JC/HZL/RP/2024 |  |  |
|  | -                           |  |  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                           |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | 25/17/28,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/17/29 and<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/17/30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |       |
| 10 | JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/4/1,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/4/2,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/4/3,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/4/4,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/4/5,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/4/6,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/4/7,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/4/8,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/4/9,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/4/10,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/4/11,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/4/12,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/4/13,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/4/14,<br>JC/HZL/RP/2024<br>-<br>25/PHED/4/15,<br>JC/HZL/RP/2024<br>- | Roof Top Rainwater Harvesting Structure -30 Nos<br>at identified building | 73.55 |

|                                       |  |              |
|---------------------------------------|--|--------------|
| 25/PHED/4/16,<br>JC/HZL/RP/2024       |  |              |
| -                                     |  |              |
| 25/PHED/4/17,<br>JC/HZL/RP/2024       |  |              |
| -                                     |  |              |
| 25/PHED/4/18,<br>JC/HZL/RP/2024       |  |              |
| -                                     |  |              |
| 25/PHED/4/19,<br>JC/HZL/RP/2024       |  |              |
| -                                     |  |              |
| 25/PHED/4/20,<br>JC/HZL/RP/2024       |  |              |
| -                                     |  |              |
| 25/PHED/4/21,<br>JC/HZL/RP/2024       |  |              |
| -                                     |  |              |
| 25/PHED/4/22/<br>JC/HZL/RP/2024       |  |              |
| -                                     |  |              |
| 25/PHED/4/23,<br>JC/HZL/RP/2024       |  |              |
| -                                     |  |              |
| 25/PHED/4/24,<br>JC/HZL/RP/2024       |  |              |
| -                                     |  |              |
| 25/PHED/4/25,<br>JC/HZL/RP/2024       |  |              |
| -                                     |  |              |
| 25/PHED/4/26,<br>JC/HZL/RP/2024       |  |              |
| -                                     |  |              |
| 25/PHED/4/27,<br>JC/HZL/RP/2024       |  |              |
| -                                     |  |              |
| 25/PHED/4/28,<br>JC/HZL/RP/2024       |  |              |
| -                                     |  |              |
| 25/PHED/4/29<br>and<br>JC/HZL/RP/2024 |  |              |
| -                                     |  |              |
| 25/PHED/4/30                          |  |              |
| <b>Total</b>                          |  | <b>890.2</b> |

2. Based on the approved financial sanction, the individual departments will issue the tender and contracts will be awarded following due procedures in place for the same.

We thus continue to nurture our community relations, which we view as a pillar of our stakeholder relationships. We have established a foundation of trust, honesty, care, respect, transparency and integrity as the roots of our community relations. HZL has ensured compliance with the Hon'ble NGT's Orders dated 02.02.22 in OA 226/2020, and 29.03.22 and 14.11.2022 in RA no. 06/2022 by taking all relevant actions in a timely manner.

संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना,  
प्रकरण संख्या 226/2020 एवं पुर्नविचार आवेदन सख्या 06/2022, रामपुरा आगूचा माईन्स प्रभावित क्षेत्र,  
कार्यालय, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा।

क्रमांक : JC/HZL/RP/2024-25/ 539

दिनांक :- 21/06/2024

वित्तीय स्वीकृति

संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना, प्रकरण संख्या 226/2020 एवं पुर्नविचार आवेदन सख्या 06/2022, के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा मा.रा. हरित अधिकरण में प्रस्तुत प्रभावित क्षेत्र हेतु पुनर्स्थापन योजना के अनुक्रम में प्रभावित क्षेत्र में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव स्वास्थ्य पुनर्स्थापन अन्तर्गत निम्नांकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। इस प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में **मुख्य चिकित्सा एवम स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा** सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत की गई है। प्राप्त विस्तृत तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृतियों के आधार पर नीचे अंकित सारणी के 01 कार्य की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। :-

| S. No. | Work ID                 | Name of work                                                                                      | Village                  | Gram Panchayat/ NP       | Tehsil                   | Block                    | Constituency             | Administrative Sanction Order |            |        | Technical Sanction Order/ letter |            |        | Final Sanction Amount |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|--------|----------------------------------|------------|--------|-----------------------|
|        |                         |                                                                                                   |                          |                          |                          |                          |                          | No.                           | Date       | Amount | No                               | Date       | Amount |                       |
| 1      | JC/HZL/RP/2024-25/MH/10 | प्रभावित क्षेत्र के 10 ग्राम पंचायतो , 46 गांवों में डोर टू डोर हेल्थ सर्वे एवम हेल्थ कार्ड वितरण | पुनर्स्थापन योजना अनुसार | पुनर्स्थापन योजना अनुसार | पुनर्स्थापन योजना अनुसार | पुनर्स्थापन योजना अनुसार | पुनर्स्थापन योजना अनुसार | 3275-3283                     | 28.02.2024 | 5.0    | 2999                             | 03.04.2024 | 5.0    | 5.0                   |
|        |                         |                                                                                                   |                          |                          |                          |                          | योग                      |                               |            | 5.0    |                                  |            | 5.0    | 5.0                   |

(अक्षरे पांच लाख मात्र)

## निम्नांकित शर्तों की पालना की जाएँ :-

1. स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे।
2. कार्य अनुमोदित तकनीकी स्वीकृति अनुरूप ही करवाया जावे।
3. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजना व कार्य का नाम, कार्य प्रारम्भ की दिनांक, कार्य की सम्भावित समाप्ति दिनांक आदि सूचना अंकित हो, प्रदर्श बोर्ड लगाना आवश्यक है। जिस पर स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, कार्य पूर्णता की अवधि आदि सूचना अंकित हो।
4. राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013, विभागीय निर्देश, जीएफएण्डएआर के नियमों की शर्त- प्रतिशत पालना, परिपत्र एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. विभागीय नियमों के अन्तर्गत प्रक्रिया एवं स्वीकृति राशि के अनुसार वर्णित समय सीमा में कार्य पूर्ण कराया जावे। कार्य के सम्पादन/प्रक्रिया/गतिविधि में विलम्ब होने पर सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी एवं उसके अधिकारी/कार्मिक जिम्मेवार होंगे। कार्य के पूर्ण होने में अप्रत्याशित अथवा तकनीकी कारणों से विलम्ब होने से यदि लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी उत्तरदायी होगी।
6. विवादग्रस्त निजी अथवा किसी समाज/वर्ग विशेष के स्थल पर कार्य होने की स्थिति में किसी भी परिस्थिति में कार्य नहीं कराया जावे। ऐसा होने की स्थिति में जिला कलक्टर भीलवाड़ा को सूचित करें अन्यथा इसके लिये कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार रहेगी।
7. स्वीकृत कार्य किसी भी अन्य योजना पूर्व में स्वीकृत है तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावे, इसकी सूचना कार्यालय जिला कलक्टर को अविलम्ब प्रस्तुत की जावे।
8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वर्तमान में जो कार्य की स्थिति है उसका अक्षांश व देशान्तर सहित कार्य के दोनों छोर पर फोटो लेने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जावे। प्रगतिरत कार्य एवं पूर्ण कार्य का एक ही एंगल से लिया गया फोटो यू0सी0 के साथ संलग्न किया जावे। इसी प्रकार निरीक्षणकर्ता अधिकारी के द्वारा जीपीएस युक्त दिनांकित फोटो भी लिया जावे।
9. कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ चैक लिस्ट समस्त प्रविष्टियों सहित आवश्यक रूप से संलग्न की जावे, चैक लिस्ट में अंकित निर्देशों की पालना की जावे।
10. माननीय एनजीटी प्रकरण हिन्दूस्तान जिक लि. पुर्नस्थापन योजना अन्तर्गत चिन्हित कार्यों का भुगतान माननीय एनजीटी के आदेश की अनुपालना में हिन्दूस्तान जिक लि. द्वारा जमा की गई राशि के अन्तर्गत निर्धारित पुर्नस्थापन फण्ड(संयुक्त बैंक खाता) में उपलब्ध राशि से किया जाएगा तथा
  - A. कार्य का कार्यादेश जारी होने और कार्य प्रारम्भ की सूचना प्राप्त होने तथा कार्य प्रारम्भ एवं प्रदर्श बोर्ड दोनों का जीपीएस युक्त फोटो प्राप्त होने व खनिज विभाग से STP का विकल्प प्राप्त होने पर कार्यादेश की 50% अग्रिम प्रथम किश्त की राशि जारी की जावेगी।
  - B. प्रथम किश्त का निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कार्यादेश का 30% राशि द्वितीय किश्त की जारी की जावेगी। कार्य पूर्णता की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड अनुसार कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कार्य की अवशेष राशि/अंतिम किश्त जारी की जावेगी।
11. कार्यकारी एजेन्सी के कनिष्ठ/सहायक/अधिकाधी/अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी द्वारा विभागीय नॉम्स के अनुसार स्वीकृत कार्यों का निरीक्षण कर मासिक सूचना सदस्य सचिव को भेजेगे।
12. स्वीकृत राशि के विरुद्ध निर्धारित पुर्नस्थापन फण्ड(संयुक्त बैंक खाता) द्वारा रिलीज राशि का लेखा-जोखा विभागीय (सार्वजनिक निर्माण विभाग) निर्देश/नियम के अनुसार संधारण करेंगे।

13. कार्यों की प्रगति प्रतिमाह की 7 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जावें ।
14. सृजित परिसम्पति का अनुरक्षण एवं मरम्मत की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यकारी संस्था/सम्बन्धित विभाग की होगी।
15. सामग्री क्रय – GEM Portal के माध्यम से कर राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना की जावें।
16. कार्य समय पर प्रारम्भ, पूर्ण एवं गुणवत्ता की सुनिश्चितता करावें।
17. संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना द्वारा वित्तीय स्वीकृति अनुसार रिलीज राशि नियुक्त जिला स्तरीय एकरूपता समिति द्वारा कार्य क्रियान्वन एवम पूर्ण होने के समय अनुवीक्षण/मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने की शर्त के अधीन रहेगी ।

(नमित मेहता)  
जिला कलक्टर एवं सदस्य संयुक्त समिति हिन्दुस्तान  
जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना  
भीलवाड़ा

क्रमांक : JC/HZL/RP/2024-25/ 540/1 - 540/13

दिनांक :- 21/06/2024

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सहायक जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा/शाहपुरा।
2. सदस्य सचिव निजी सहायक रा.प्र.नि.म. जयपुर।
3. सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी हुरड़ा/फुलियां कलां।
4. सम्बन्धित तहसीलदारा हुरड़ा/फुलियां कलां।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा।
6. जिला कोषाधिकारी, भीलवाड़ा।
7. श्री सुनील मीणा, सदस्य, संयुक्त समिति एवं वैज्ञानिक – डी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
8. क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म., भीलवाड़ा।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिन्दुस्तान जिंक लि., तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. रक्षित पत्रावली।

(विनय कट्टा)  
क्षेत्रीय अधिकारी एवं नोडल एजेंसी संयुक्त समिति  
रा.प्र.नि.म., भीलवाड़ा

संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुर्नस्थापन योजना,

प्रकरण संख्या 226/2020 एवं पुर्नविचार आवेदन संख्या 06/2022, रामपुरा आगूचा माईन्स प्रभावित क्षेत्र,

कार्यालय, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा।

क्रमांक : JC/HZL/RP/2024-25/ 537

दिनांक :- 21/06/2024

**वित्तीय स्वीकृति**

संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुर्नस्थापन योजना, प्रकरण संख्या 226/2020 एवं पुर्नविचार आवेदन संख्या 06/2022, के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा मा.रा. हरित अधिकरण में प्रस्तुत प्रभावित क्षेत्र हेतु पुर्नस्थापन योजना के अनुक्रम में प्रभावित क्षेत्र में निम्नांकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। इस प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में अधिशाषी अभियंता – सिविल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अजमेर (नोडल ऐजेंसी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा) के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत की गई है। प्राप्त विस्तृत तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृतियों के आधार पर नीचे अंकित सारणी के **01** कार्य की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। :-

| S. No. | Work ID                   | Name of work                                                                                                                                    | Village   | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block  | Constituency | Administrative Sanction Order |            |                     | Technical Sanction Order/ letter |            |                     | Final Sanction Amount |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|--------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
|        |                           |                                                                                                                                                 |           |                    |        |        |              | No.                           | Date       | Amount (Rs In Laes) | No                               | Date       | Amount (Rs In Laes) | (Rs In Laes)          |
| 1      | JC/HZL/RP/2024-25/MH/11.1 | प्रभावित क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गुलाबपुरा के मॉडल चिकित्सालय की तर्ज पर नवीनीकरण, मरम्मत (फर्श , ड्रेनज एवम विद्युत सिस्टम आदि) | गुलाबपुरा | गुलाबपुरा          | हुरड़ा | हुरड़ा | आर्सीद       | 3284-3292                     | 28/02/2024 | 209.46              | 1                                | 21.05.2024 | 209.37              | 209.37                |
|        |                           |                                                                                                                                                 |           |                    |        |        | योग          |                               |            | 209.46              |                                  |            | 209.37              | 209.37                |

(अक्षरे दो करोड़ नौ लाख सैतीस हजार मात्र)

## निम्नांकित शर्तों की पालना की जावे :-

1. स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे।
2. कार्य अनुमोदित तकनीकी स्वीकृति अनुरूप ही करवाया जावे।
3. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजना व कार्य का नाम, कार्य प्रारम्भ की दिनांक, कार्य की सम्भावित समाप्ति दिनांक आदि सूचना अंकित हो, प्रदर्श बोर्ड लगाना आवश्यक है। जिस पर स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, कार्य पूर्णता की अवधि आदि सूचना अंकित हो।
4. राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013, विभागीय निर्देश, जीएफएण्डएआर के नियमों की शर्त- प्रतिशत पालना, परिपत्र एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. विभागीय नियमों के अन्तर्गत प्रक्रिया एवं स्वीकृति राशि के अनुसार वर्णित समय सीमा में कार्य पूर्ण कराया जावे। कार्य के सम्पादन/प्रक्रिया/गतिविधि में विलम्ब होने पर सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी एवं उसके अधिकारी/कार्मिक जिम्मेवार होंगे। कार्य के पूर्ण होने में अप्रत्याशित अथवा तकनीकी कारणों से विलम्ब होने से यदि लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी उत्तरदायी होगी।
6. विवादग्रस्त निजी अथवा किसी समाज/वर्ग विशेष के स्थल पर कार्य होने की स्थिति में किसी भी परिस्थिति में कार्य नहीं कराया जावे। ऐसा होने की स्थिति में जिला कलक्टर भीलवाड़ा को सूचित करें अन्यथा इसके लिये कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार रहेगी।
7. स्वीकृत कार्य किसी भी अन्य योजना पूर्व में स्वीकृत है तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावे, इसकी सूचना कार्यालय जिला कलक्टर को अविलम्ब प्रस्तुत की जावे।
8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वर्तमान में जो कार्य की स्थिति है उसका अक्षांश व देशान्तर सहित कार्य के दोनों छोर पर फोटो लेने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जावे। प्रगतिरत कार्य एवं पूर्ण कार्य का एक ही एंगल से लिया गया फोटो यू0सी0 के साथ संलग्न किया जावे। इसी प्रकार निरीक्षणकर्ता अधिकारी के द्वारा जीपीएस युक्त दिनांकित फोटो भी लिया जावे।
9. कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ चैक लिस्ट समस्त प्रविष्टियों सहित आवश्यक रूप से संलग्न की जावे, चैक लिस्ट में अंकित निर्देशों की पालना की जावे।
10. माननीय एनजीटी प्रकरण हिन्दूस्तान जिक लि. पुर्नस्थापन योजना अन्तर्गत चिन्हित कार्यों का भुगतान माननीय एनजीटी के आदेश की अनुपालना में हिन्दूस्तान जिक लि. द्वारा जमा की गई राशि के अन्तर्गत निर्धारित पुर्नस्थापन फण्ड(संयुक्त बैंक खाता) में उपलब्ध राशि से किया जाएगा तथा
  - A. कार्य का कार्यादेश जारी होने और कार्य प्रारम्भ की सूचना प्राप्त होने तथा कार्य प्रारम्भ एवं प्रदर्श बोर्ड दोनों का जीपीएस युक्त फोटो प्राप्त होने व खनिज विभाग से STP का विकल्प प्राप्त होने पर कार्यादेश की 50% अग्रिम प्रथम किश्त की राशि जारी की जावेगी।
  - B. प्रथम किश्त का निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कार्यादेश का 30% राशि द्वितीय किश्त की जारी की जावेगी। कार्य पूर्णता की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड अनुसार कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कार्य की अवशेष राशि/अंतिम किश्त जारी की जावेगी।
11. कार्यकारी एजेन्सी के कनिष्ठ/सहायक/अधिक्षापी/अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी द्वारा विभागीय नॉम्स के अनुसार स्वीकृत कार्यों का निरीक्षण कर मासिक सूचना सदस्य सचिव को भेजेगे।
12. स्वीकृत राशि के विरुद्ध निर्धारित पुर्नस्थापन फण्ड(संयुक्त बैंक खाता) द्वारा रिलीज राशि का लेखा-जोखा विभागीय (सार्वजनिक निर्माण विभाग) निर्देश/नियम के अनुसार संधारण करेंगे।
13. कार्यों की प्रगति प्रतिमाह की 7 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
14. सृजित परिसम्पति का अनुरक्षण एवं मरम्मत की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यकारी संस्था/सम्बन्धित विभाग की होगी।

15. सामग्री क्रय – GEM Portal के माध्यम से कर राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना की जावे।
16. कार्य समय पर प्रारम्भ, पूर्ण एवं गुणवत्ता की सुनिश्चितता करावे।
17. संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना द्वारा वित्तीय स्वीकृति अनुसार रिलीज राशि नियुक्त जिला स्तरीय एकरूपता समिति द्वारा कार्य क्रियान्वन एवम पूर्ण होने के समय अनुवीक्षण/मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने की शर्त के अधीन रहेगी।

(नमित मेहता)  
जिला कलक्टर एवं सदस्य संयुक्त समिति हिन्दुस्तान  
जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना  
भीलवाड़ा

क्रमांक : JC/HZL/RP/2024-25/ 538/18-538/11

दिनांक :- 21/06/24

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सहायक जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा।
2. सदस्य सचिव निजी सहायक रा.प्र.नि.म. जयपुर।
3. सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी हुरड़ा।
4. सम्बन्धित तहसीलदार हुरड़ा।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा।
6. अधिशाषी अभियंता – सिविल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, अजमेर।
7. जिला कोषाधिकारी, भीलवाड़ा।
8. श्री सुनील मीणा, सदस्य, संयुक्त समिति एवं वैज्ञानिक – डी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
9. क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म., भीलवाड़ा।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिन्दुस्तान जिंक लि., तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।
11. रक्षित पत्रावली।

(विनय कट्टा)  
क्षेत्रीय अधिकारी एवं नोडल एजेंसी संयुक्त समिति  
रा.प्र.नि.म., भीलवाड़ा

संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुर्नस्थापन योजना,

प्रकरण संख्या 226/2020 एवं पुर्नविचार आवेदन संख्या 06/2022, रामपुरा आगूचा माईन्स प्रभावित क्षेत्र,

कार्यालय, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा।

क्रमांक : JC/HZL/RP/2024-25/ 541

दिनांक :- 21/06/24

वित्तीय स्वीकृति

संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुर्नस्थापन योजना, प्रकरण संख्या 226/2020 एवं पुर्नविचार आवेदन संख्या 06/2022, के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा मा.रा. हरित अधिकरण में प्रस्तुत प्रभावित क्षेत्र हेतु पुर्नस्थापन योजना के अन्तर्गत प्रभावित क्षेत्र में निम्नांकित कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। इस प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकमीना - स्पेसिफिकेशन /तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत की गई है। प्राप्त विस्तृत तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृतियों के आधार पर नीचे अंकित सारणी के 02 कार्य की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।:-

| S. No. | Work ID                     | Name of work                                                                                                                                      | Village   | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |            |                     | Technical Sanction Order/ letter |            |                     | Final Sanction Amount |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                   |           |                    |        |       |              | No.                           | Date       | Amount (Rs In Lacs) | No.                              | Date       | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
| 1      | JC/HZL/RP/2024-25/MH/11.2/1 | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ,गुलाबपुरा में सोनोग्राफी मशीन-01 (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उपकरण स्पेसिफिकेशन मानक अनुसार ) क्रय एवम स्थापना हेतु | गुलाबपुरा | गुलाबपुरा          | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3293-3301                     | 28.02.2024 | 25.00               | 2999                             | 03.04.2024 | 25.0                | 25.0                  |

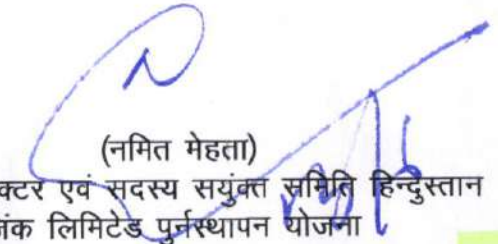
| S. No. | Work ID                     | Name of work                                                                                                                                   | Village   | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |            |                     | Technical Sanction Order/ letter |            |                     | Final Sanction Amount |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                |           |                    |        |       |              | No.                           | Date       | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date       | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
| 2      | JC/HZL/RP/2024-25/MH/11.2/2 | सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, गुलाबपुरा में स्पायरोमीटर -01 (राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उपकरण स्पेसिफिकेशन मानक अनुसार ) क्रय एवम स्थापना हेतु | गुलाबपुरा | गुलाबपुरा          | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3293-3301                     | 28.02.2024 | 25.00               | 2999                             | 03.04.2024 | 1.5                 | 1.5                   |
|        |                             |                                                                                                                                                |           |                    |        |       | योग          |                               |            | 26.50               |                                  |            | 26.50               | 26.50                 |

(अक्षरे छब्बीस लाख पचास हजार मात्र)

### निम्नांकित शर्तों की पालना की जावे :-

- स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे। ✓
- कार्य अनुमोदित तकनीकी स्वीकृति अनुरूप ही करवाया जावे। ✓
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजना व कार्य का नाम, कार्य प्रारम्भ की दिनांक, कार्य की सम्भावित समाप्ति दिनांक आदि सूचना अंकित हो, प्रदर्श बोर्ड लगाना आवश्यक है। जिस पर स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, कार्य पूर्णता की अवधि आदि सूचना अंकित हो।
- राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013, विभागीय निर्देश, जीएफएण्डएआर के नियमों की शर्त- प्रतिशत पालना, परिपत्र एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- विभागीय नियमों के अन्तर्गत प्रक्रिया एवं स्वीकृति राशि के अनुसार वर्णित समय सीमा में कार्य पूर्ण कराया जावे। कार्य के सम्पादन/प्रक्रिया/गतिविधि में विलम्ब होने पर सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी एवं उसके अधिकारी/कार्मिक जिम्मेदार होंगे। कार्य के पूर्ण होने में अप्रत्याशित अथवा तकनीकी कारणों से विलम्ब होने से यदि लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी उत्तरदायी होगी।
- विवादग्रस्त निजी अथवा किसी समाज/वर्ग विशेष के स्थल पर कार्य होने की स्थिति में किसी भी परिस्थिति में कार्य नहीं कराया जावे। ऐसा होने की स्थिति में जिला कलक्टर भीलवाड़ा को सूचित करें अन्यथा इसके लिये कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार रहेगी।
- स्वीकृत कार्य किसी भी अन्य योजना पूर्व में स्वीकृत है तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावे, इसकी सूचना कार्यालय जिला कलक्टर को अविलम्ब प्रस्तुत की जावे।

8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वर्तमान में जो कार्य की स्थिति है उसका अक्षांश व देशान्तर सहित कार्य के दोनो छोर पर फोटो लेने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जावे। प्रगतिरक्त कार्य एवं पूर्ण कार्य का एक ही एंगल से लिया गया फोटो यू0सी0 के साथ संलग्न किया जावे। इसी प्रकार निरीक्षणकर्ता अधिकारी के द्वारा जीपीएस युक्त दिनांकित फोटो भी लिया जावे।
9. कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ चैक लिस्ट समस्त प्रविष्टियों सहित आवश्यक रूप से संलग्न की जावे, चैक लिस्ट में अंकित निर्देशों की पालना की जावे।
10. माननीय एनजीटी प्रकरण हिन्दुस्तान जिंक लि. पुनर्स्थापन योजना अन्तर्गत विन्हित कार्यों का भुगतान माननीय एनजीटी के आदेश की अनुपालना में हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा जमा की गई राशि के अन्तर्गत निर्धारित पुनर्स्थापन फण्ड(संयुक्त बैंक खाता) में उपलब्ध राशि से किया जाएगा तथा
  - A. कार्य का कार्यादेश जारी होने और कार्य प्रारम्भ की सूचना प्राप्त होने तथा कार्य प्रारम्भ एवं प्रदर्श बोर्ड दोनो का जीपीएस युक्त फोटो प्राप्त होने व खनिज विभाग से STP का विकल्प प्राप्त होने पर कार्यादेश की 50% अग्रिम प्रथम किश्त की राशि जारी की जावेगी।
  - B. प्रथम किश्त का निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कार्यादेश का 30% राशि द्वितीय किश्त की जारी की जावेगी। कार्य पूर्णता की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड अनुसार कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कार्य की अवशेष राशि/अंतिम किश्त जारी की जावेगी।
11. कार्यकारी एजेन्सी के कनिष्ठ/सहायक/अधिक्षापी/अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी द्वारा विभागीय नॉर्म्स के अनुसार स्वीकृत कार्यों का निरीक्षण कर मासिक सूचना सदस्य सचिव को भेजेगे।
12. स्वीकृत राशि के विरुद्ध निर्धारित पुनर्स्थापन फण्ड(संयुक्त बैंक खाता) द्वारा रिलीज राशि का लेखा-जोखा विभागीय (सार्वजनिक निर्माण विभाग) निर्देश/नियम के अनुसार संधारण करेंगे।
13. कार्यों की प्रगति प्रतिमाह की 7 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
14. सृजित परिसम्पति का अनुरक्षण एवं मरम्मत की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यकारी संस्था/सम्बन्धित विभाग की होगी।
15. सामग्री क्रय – GEM Portal के माध्यम से कर राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना की जावे।
16. कार्य समय पर प्रारम्भ, पूर्ण एवं गुणवत्ता की सुनिश्चितता करावे।
17. संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना द्वारा वित्तीय स्वीकृति अनुसार रिलीज राशि नियुक्त जिला स्तरीय एकरूपता समिति द्वारा कार्य क्रियान्वन एवम पूर्ण होने के समय अनुवीक्षण/मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने की शर्त के अधीन रहेगी।

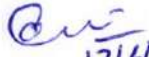
  
 (नमित मेहता)  
 जिला कलक्टर एवं सदस्य संयुक्त समिति हिन्दुस्तान  
 जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना  
 भीलवाड़ा

क्रमांक : JC/HZL/RP/2024-25/ 542/1- 542/10

दिनांक :- 21/06/2024

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सहायक जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा।
2. सदस्य सचिव निजी सहायक रा.प्र.नि.म. जयपुर।
3. सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी हुरड़ा।
4. सम्बन्धित तहसीलदारा हुरड़ा।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाड़ा, जिला- भीलवाड़ा।
6. जिला कोषाधिकारी, भीलवाड़ा।
7. श्री सुनील मीणा, सदस्य, संयुक्त समिति एवं वैज्ञानिक - डी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
8. क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म., भीलवाड़ा।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिन्दुस्तान जिंक लि., तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. रक्षित पत्रावली।

  
13/6/24

(विनय कट्टा)

क्षेत्रीय अधिकारी एवं नोडल एजेंसी संयुक्त समिती  
रा.प्र.नि.म., भीलवाड़ा

संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना,  
प्रकरण संख्या 226/2020 एवं पुर्नविचार आवेदन सख्या 06/2022, रामपुरा आगूचा माईन्स प्रभावित क्षेत्र,  
कार्यालय, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा।

क्रमांक : JC/HZL/RP/2024-25/ 543

दिनांक :- 21/06/2024

**वित्तीय स्वीकृति**

संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना, प्रकरण संख्या 226/2020 एवं पुर्नविचार आवेदन सख्या 06/2022, के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा मा.रा. हरित अधिकरण में प्रस्तुत प्रभावित क्षेत्र हेतु पुनर्स्थापन योजना के अनुक्रम में निम्नांकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। इस प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में अधिशायी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण खण्ड, भीलवाड़ा/शाहपुरा द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत की गई है। प्राप्त विस्तृत तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृतियों के आधार पर नीचे अंकित सारणी के 02 कार्य की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। :-

| S. No. | Work ID                    | Name of work                                                                                                        | Village     | Gram Panchaya t/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |            |                     | Technical Sanction Order/ letter |            |                     | Final Sanction Amount |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
|        |                            |                                                                                                                     |             |                     |        |       |              | No.                           | Date       | Amount (Rs In Laes) | No                               | Date       | Amount (Rs In Laes) | (Rs In Laes)          |
| 1      | JC/HZL/RP/2024-25/PHED/9/1 | ईएसआर (ESR क्षमता -100 केएल) मय आवश्यकपाइपलाइन निर्माण<br>प्रस्तावित स्थान -<br>ग्राम-भेरुखेडा II<br>ग्राम पंचायत - | भेरुखेडा II | आगूचा               | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3304-3305/10                  | 28.02.2024 | 115.05              | 01                               | 01.05.2024 | 115.05              | 115.05                |

| S. No. | Work ID                    | Name of work                                                                                               | Village    | Gram Panchayat/ NP | Tehsil     | Block      | Constituency | Administrative Sanction Order |      |                     | Technical Sanction Order/ letter |      |                     | Final Sanction Amount |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|------|---------------------|----------------------------------|------|---------------------|-----------------------|
|        |                            |                                                                                                            |            |                    |            |            |              | No.                           | Date | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
| 2      | JC/HZL/RP/2024-25/PHED/9/2 | ईएसआर (ESR – क्षमता –50 केएल) मय आवश्यक पाइपलाइन निर्माण प्रस्तावित स्थान –ग्राम–खेडा पलोला ग्राम पंचायत – | खेडा पलोला | कोठिया             | फुलिया कला | फुलिया कला | शाहपुरा      |                               |      |                     |                                  |      |                     |                       |
|        |                            |                                                                                                            |            |                    |            |            | योग          |                               |      | 115.05              |                                  |      | 115.05              | 115.05                |

(अक्षरे एक करोड़ पन्द्रह लाख पांच हजार मात्र)

निम्नांकित शर्तों की पालना की जाएँ :-

- स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे।
- कार्य अनुमोदित तकनीकी स्वीकृति अनुरूप ही करवाया जावे।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजना व कार्य का नाम, कार्य प्रारम्भ की दिनांक, कार्य की सम्भावित समाप्ति दिनांक आदि सूचना अंकित हो, प्रदर्श बोर्ड लगाना आवश्यक है। जिस पर स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, कार्य पूर्णता की अवधि आदि सूचना अंकित हो।
- राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013, विभागीय निर्देश, जीएफएण्डएआर के नियमों की शत- प्रतिशत पालना, परिपत्र एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- विभागीय नियमों के अन्तर्गत प्रक्रिया एवं स्वीकृति राशि के अनुसार वर्णित समय सीमा में कार्य पूर्ण कराया जावे। कार्य के सम्पादन/प्रक्रिया/गतिविधि में विलम्ब होने पर सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी एवं उसके अधिकारी/कार्मिक जिम्मेवार होंगे। कार्य के पूर्ण होने में अप्रत्याशित अथवा तकनीकी कारणों से विलम्ब होने से यदि लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी उत्तरदायी होगी।
- विवादग्रस्त निजी अथवा किसी समाज/वर्ग विशेष के स्थल पर कार्य होने की स्थिति में किसी भी परिस्थिति में कार्य नहीं कराया जावे। ऐसा होने की स्थिति में जिला कलक्टर भीलवाड़ा को सूचित करें अन्यथा इसके लिये कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार रहेगी।
- स्वीकृत कार्य किसी भी अन्य योजना पूर्व में स्वीकृत है तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावे, इसकी सूचना कार्यालय जिला कलक्टर को अविलम्ब प्रस्तुत की जावे।

8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वर्तमान में जो कार्य की स्थिति है उसका अक्षांश व देशान्तर सहित कार्य के दोनो छोर पर फोटो लेने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जावे। प्रगतिरत कार्य एवं पूर्ण कार्य का एक ही एंगल से लिया गया फोटो यू0सी0 के साथ संलग्न किया जावे। इसी प्रकार निरीक्षणकर्ता अधिकारी के द्वारा जीपीएस युक्त दिनांकित फोटो भी लिया जावे।
9. कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ चैक लिस्ट समस्त प्रविष्टियों सहित आवश्यक रूप से संलग्न की जावे, चैक लिस्ट में अंकित निर्देशों की पालना की जावे।
10. माननीय एनजीटी प्रकरण हिन्दुस्तान जिंक लि. पुनर्स्थापन योजना अन्तर्गत चिन्हित कार्यों का भुगतान माननीय एनजीटी के आदेश की अनुपालना में हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा जमा की गई राशि के अन्तर्गत निर्धारित पुनर्स्थापन फण्ड(संयुक्त बैंक खाता) में उपलब्ध राशि से किया जाएगा तथा
  - A. कार्य का कार्यादेश जारी होने और कार्य प्रारम्भ की सूचना प्राप्त होने तथा कार्य प्रारम्भ एवं प्रदर्श बोर्ड दोनो का जीपीएस युक्त फोटो प्राप्त होने व खनिज विभाग से STP का विकल्प प्राप्त होने पर कार्यादेश की 50% अग्रिम प्रथम किश्त की राशि जारी की जावेगी।
  - B. प्रथम किश्त का निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कार्यादेश का 30% राशि द्वितीय किश्त की जारी की जावेगी। कार्य पूर्णता की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड अनुसार कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कार्य की अवशेष राशि/अंतिम किश्त जारी की जावेगी।
11. कार्यकारी एजेन्सी के कनिष्ठ/सहायक/अधिशायी/अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी द्वारा विभागीय नॉम्स के अनुसार स्वीकृत कार्यों का निरीक्षण कर मासिक सूचना सदस्य सचिव को भेजेगे।
12. स्वीकृत राशि के विरुद्ध निर्धारित पुनर्स्थापन फण्ड(संयुक्त बैंक खाता) द्वारा रिलीज राशि का लेखा-जोखा विभागीय (सार्वजनिक निर्माण विभाग) निर्देश/नियम के अनुसार संधारण करेंगे।
13. कार्यों की प्रगति प्रतिमाह की 7 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
14. सृजित परिसम्पति का अनुरक्षण एवं मरम्मत की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यकारी संस्था/सम्बन्धित विभाग की होगी।
15. सामग्री क्रय – GEM Portal के माध्यम से कर राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना की जावे।
16. कार्य समय पर प्रारम्भ, पूर्ण एवं गुणवत्ता की सुनिश्चितता करावे।
17. संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना द्वारा वित्तीय स्वीकृति अनुसार रिलीज राशि नियुक्त जिला स्तरीय एकरूपता समिति द्वारा कार्य क्रियान्वन एवम पूर्ण होने के समय अनुवीक्षण/मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने की शर्त के अधीन रहेगी।

(नमित मेहता)  
जिला कलक्टर एवं सदस्य संयुक्त समिति हिन्दुस्तान  
जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना  
भीलवाड़ा

क्रमांक:- JC/HZL/RP/2024-25/ 544/1 - 544/14

दिनांक:- 21/06/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सहायक जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा/शाहपुरा।
2. सदस्य सचिव निजी सहायक रा.प्र.नि.म. जयपुर।
3. संबंधित उपखण्ड अधिकारी, हुरड़ा/फुलियां कलां।
4. संबंधित तहसीलदार हुरड़ा/फुलियां कलां।
5. जिला कोषाधिकारी, भीलवाड़ा।
6. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त भीलवाड़ा।
7. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड/ग्रामीण खण्ड - भीलवाड़ा/शाहपुरा।
8. श्री सुनील मीणा, सदस्य, संयुक्त समिति एवं वैज्ञानिक - डी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
9. क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. भीलवाड़ा।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिन्दुस्तान जिंक लि., तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।
11. रक्षित पत्रावली।

  
13/6/24  
(विनय कट्टा)

क्षेत्रीय अधिकारी एवं नोडल एजेंसी संयुक्त समिति  
रा.प्र.नि.म., भीलवाड़ा

संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना,

प्रकरण संख्या 226/2020 एवं पुर्नविचार आवेदन संख्या 06/2022, रामपुरा आगूचा माईन्स प्रभावित क्षेत्र,

कार्यालय, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा।

क्रमांक : JC/HZL/RP/2024-25/ 535

दिनांक :- 21/06/2024

वित्तीय स्वीकृति

1. संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना, प्रकरण संख्या 226/2020 एवं पुर्नविचार आवेदन संख्या 06/2022, के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा मा.रा. हरित अधिकरण में प्रस्तुत प्रभावित क्षेत्र हेतु पुनर्स्थापन योजना के अनुक्रम में प्रभावित क्षेत्र में निम्नांकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। इस प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में अधिशायी अभियंता – राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खंड भीलवाडा (नोडल एजेंसी – संयुक्त निदेशक, पशुपालन, भीलवाडा) द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत की गई है। प्राप्त विस्तृत तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृतियों के आधार पर नीचे अंकित सारणी के 03 कार्य की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

:-

| S. No. | Work ID                  | Name of work                                                                                                              | Village | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |            |                     | Technical Sanction Order/ letter |            |                     | Final Sanction Amount |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
|        |                          |                                                                                                                           |         |                    |        |       |              | No.                           | Date       | Amount (Rs in Lacs) | No                               | Date       | Amount (Rs in Lacs) | (Rs in Lacs)          |
| 1      | JC/HZL/RP/2024-25/AH/14/ | पशु चिकित्सालय, हुरडा के मॉडल पशु चिकित्सालय की तर्ज पर निर्माण, नवीनीकरण, मरम्मत (सिविल. सेनेटरी एवम विद्युत कार्य आदि ) | हुरडा   | हुरडा              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3237-3248                     | 28.02.2024 | 34.09               | 262                              | 04.04.2024 | 36.99               | 36.99                 |

| S. No. | Work ID                 | Name of work                                                                                | Village | Gram Panchayat/ NP | Tehsil     | Block      | Constituency | Administrative Sanction Order |            |                     | Technical Sanction Order/ letter |            |                     | Final Sanction Amount |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|------------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
|        |                         |                                                                                             |         |                    |            |            |              | No.                           | Date       | Amount (Rs in Lacs) | No                               | Date       | Amount (Rs in Lacs) | (Rs in Lacs)          |
| 2      | JC/HZL/RP/2024-25/AH/15 | पशु चिकित्सालय, आगूचा में निर्माण, नवीनीकरण, मरम्मत (सिविल. सेनेटरी एवम विद्युत कार्य आदि ) | आगूचा   | आगूचा              | हुरडा      | हुरडा      | आसींद        | 3237-3248                     | 28.02.2024 | 34.09               | 263                              | 04.04.2024 | 36.08               | 36.08                 |
| 3      | JC/HZL/RP/2024-25/AH/16 | पशु चिकित्सालय, कोठिया में परिसर दीवार निर्माण (बाउंड्रीवाल)                                | कोठिया  | कोठिया             | फुलिया कला | फुलिया कला | शाहपुरा      | 3237-3248                     | 28.02.2024 | 7.67                | 264                              | 04.04.2024 | 7.87                | 7.87                  |
|        |                         |                                                                                             |         |                    |            |            | योग          |                               |            | 75.85               |                                  |            | 80.94               | 80.94                 |

(अक्षरे अस्सी लाख चौरानवें हजार मात्र)

#### निम्नांकित शर्तों की पालना की जावे :-

- स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे।
- कार्य अनुमोदित तकनीकी स्वीकृति अनुरूप ही करवाया जावे।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजना व कार्य का नाम, कार्य प्रारम्भ की दिनांक, कार्य की सम्भावित समाप्ति दिनांक आदि सूचना अंकित हो, प्रदर्श बोर्ड लगाना आवश्यक है। जिस पर स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, कार्य पूर्णता की अवधि आदि सूचना अंकित हो।
- राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013, विभागीय निर्देश, जीएफएण्डएआर के नियमों की शत- प्रतिशत पालना, परिपत्र एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- विभागीय नियमों के अन्तर्गत प्रक्रिया एवं स्वीकृति राशि के अनुसार वर्णित समय सीमा में कार्य पूर्ण कराया जावे। कार्य के सम्पादन/प्रक्रिया/गतिविधि में विलम्ब होने पर सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी एवं उसके अधिकारी/कार्मिक जिम्मेवार होंगे। कार्य के पूर्ण होने में अप्रत्याशित अथवा तकनीकी कारणों से विलम्ब होने से यदि लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी उत्तरदायी होगी।
- विवादग्रस्त निजी अथवा किसी समाज/वर्ग विशेष के स्थल पर कार्य होने की स्थिति में किसी भी परिस्थिति में कार्य नहीं कराया जावे। ऐसा होने की स्थिति में जिला कलक्टर भीलवाड़ा को सूचित करें अन्यथा इसके लिये कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार रहेगी।
- स्वीकृत कार्य किसी भी अन्य योजना पूर्व में स्वीकृत है तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावे, इसकी सूचना कार्यालय जिला कलक्टर को अविलम्ब प्रस्तुत की जावे।

8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वर्तमान में जो कार्य की स्थिति है उसका अक्षांश व देशान्तर सहित कार्य के दोनो छोर पर फोटो लेने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जावे। प्रगतिरक्त कार्य एवं पूर्ण कार्य का एक ही एंगल से लिया गया फोटो यू0सी0 के साथ संलग्न किया जावे। इसी प्रकार निरीक्षणकर्ता अधिकारी के द्वारा जीपीएस युक्त दिनांकित फोटो भी लिया जावे।
9. कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ चैक लिस्ट समस्त प्रविष्टियों सहित आवश्यक रूप से संलग्न की जावे, चैक लिस्ट में अंकित निर्देशों की पालना की जावे।
10. माननीय एनजीटी प्रकरण हिन्दुस्तान जिंक लि. पुनर्स्थापन योजना अन्तर्गत चिन्हित कार्यों का भुगतान माननीय एनजीटी के आदेश की अनुपालना में हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा जमा की गई राशि के अन्तर्गत निर्धारित पुनर्स्थापन फण्ड(संयुक्त बैंक खाता) में उपलब्ध राशि से किया जाएगा तथा
  - A. कार्य का कार्यादेश जारी होने और कार्य प्रारम्भ की सूचना प्राप्त होने तथा कार्य प्रारम्भ एवं प्रदर्श बोर्ड दोनो का जीपीएस युक्त फोटो प्राप्त होने व खनिज विभाग से STP का विकल्प प्राप्त होने पर कार्यादेश की 50% अग्रिम प्रथम किश्त की राशि जारी की जावेगी।
  - B. प्रथम किश्त का निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कार्यादेश का 30% राशि द्वितीय किश्त की जारी की जावेगी। कार्य पूर्णता की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड अनुसार कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कार्य की अवशेष राशि/अंतिम किश्त जारी की जावेगी।
11. कार्यकारी एजेन्सी के कनिष्ठ/सहायक/अधिक्षापी/अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी द्वारा विभागीय नॉर्म्स के अनुसार स्वीकृत कार्यों का निरीक्षण कर मासिक सूचना सदस्य सचिव को भेजेगे।
12. स्वीकृत राशि के विरुद्ध निर्धारित पुनर्स्थापन फण्ड(संयुक्त बैंक खाता) द्वारा रिलीज राशि का लेखा-जोखा विभागीय (सार्वजनिक निर्माण विभाग) निर्देश/नियम के अनुसार संधारण करेंगे।
13. कार्यों की प्रगति प्रतिमाह की 7 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
14. सृजित परिसम्पत्ति का अनुरक्षण एवं मरम्मत की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यकारी संस्था/सम्बन्धित विभाग की होगी।
15. सामग्री क्रय – GEM Portal के माध्यम से कर राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना की जावे।
16. कार्य समय पर प्रारम्भ, पूर्ण एवं गुणवत्ता की सुनिश्चितता करावे।
17. संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना द्वारा वित्तीय स्वीकृति अनुसार रिलीज राशि नियुक्त जिला स्तरीय एकरूपता समिति द्वारा कार्य क्रियान्वन एवम पूर्ण होने के समय अनुवीक्षण/मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने की शर्त के अधीन रहेगी।
18. उपरोक्त तीन कार्यों हेतु पूर्व में जारी यथोपरी प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 28.02.2024, अनुमानित लागत 75.85 को संयुक्त निदेशक, पशुपालन द्वारा प्रस्तुत राज. कृषि विपणन बोर्ड की अद्यतन तकनीकी स्वीकृति एवं प्रस्तुत स्पष्टीकरण के क्रम में स्वीकृति राशि 80.94 लाख पुनरिक्षित किया गया है।

(नमित मेहता)  
जिला कलक्टर एवं सदस्य संयुक्त समिति हिन्दुस्तान  
जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना  
भीलवाड़ा

क्रमांक : JC/HZL/RP/2024-25/ 536/1-536/13

दिनांक :- 21/06/2024

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सहायक जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा।
2. सदस्य सचिव निजी सहायक रा.प्र.नि.म. जयपुर।
3. सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी हुरडा/फुलियां कलां।
4. सम्बन्धित तहसीलदारा हुरडा/फुलियां कलां।
5. संयुक्त निदेशक, पशुपालन, भीलवाड़ा
6. अधिशाषी अभियंता -कृषि विपणन बोर्ड, खंड भीलवाड़ा।
7. जिला कोषाधिकारी, भीलवाड़ा
8. श्री सुनील मीणा, सदस्य, संयुक्त समिति एवं वैज्ञानिक - डी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
9. क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म., भीलवाड़ा।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिन्दुस्तान जिंक लि., तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा।
11. रक्षित पत्रावली।

  
13/6/24

(विनय कट्टा)  
क्षेत्रीय अधिकारी एवं नोडल एजेंसी संयुक्त समिति  
रा.प्र.नि.म., भीलवाड़ा

संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना,

प्रकरण संख्या 226/2020 एवं पुर्नविचार आवेदन संख्या 06/2022, रामपुरा आगूचा माईन्स प्रभावित क्षेत्र,

कार्यालय, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा।

क्रमांक : JC/HZL/RP/2024-25/ 551

दिनांक :- 21/06/2024

वित्तीय स्वीकृति

संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना, प्रकरण संख्या 226/2020 एवं पुर्नविचार आवेदन संख्या 06/2022, के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा मा.रा. हरित अधिकरण में प्रस्तुत प्रभावित क्षेत्र हेतु पुनर्स्थापन योजना के अनुक्रम में प्रभावित क्षेत्र में निम्नांकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। इस प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार – जिला परिषद, भीलवाडा के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति /तकमीना प्रस्तुत की गई है। प्राप्त विस्तृत तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृतियों के आधार पर नीचे अंकित सारणी के 04 कार्य की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। :-

| S. No. | Work ID                  | Name of work                                                                                             | Village | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block  | Constituency | Administrative Sanction Order |                |                     | Technical Sanction Order/ letter |                |                     | Final Sanction Amount |
|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------|--------|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
|        |                          |                                                                                                          |         |                    |        |        |              | No                            | Date           | Amount (Rs in Lacs) | No                               | Date           | Amount (Rs in Lacs) | (Rs in Lacs)          |
| 1      | JC/HZL/RP/2024-25/AG/1.1 | ग्राम आगूचा में मृदा गुणवत्ता उपचार एवम कृषि उत्पादन उन्नयन हेतु जिप्सम उपचार                            | आगूचा   | आगूचा              | हुरड़ा | हुरड़ा | आसींद        | 32<br>49<br>-<br>32<br>58     | 28.02.<br>2024 | 11.70               | 916-918                          | 20.06.<br>2023 | 11.70               | 11.70                 |
| 2      | JC/HZL/RP/2024-25/AG/2.1 | ग्राम आगूचा में मृदा गुणवत्ता उपचार एवम कृषि उत्पादन उन्नयन हेतु हरित मेनियुर (ढेंचा बुवाई आधारित उपचार) | आगूचा   | आगूचा              | हुरड़ा | हुरड़ा | आसींद        | 32<br>49<br>-<br>32<br>58     | 28.02.<br>2024 | 4.77                | 916-918                          | 20.06.<br>2023 | 4.77                | 4.77                  |

| S. No. | Work ID                  | Name of work                                                                                                  | Village    | Gram Panchayat/ NP | Tehsil       | Block        | Constituency | Administrative Sanction Order |                |                     | Technical Sanction Order/ letter |                |                     | Final , Sanction Amount |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|
|        |                          |                                                                                                               |            |                    |              |              |              | No                            | Date           | Amount (Rs in Lacs) | No                               | Date           | Amount( Rs in Lacs) | ( Rs in Lacs)           |
| 3      | JC/HZL/RP/2024-25/AG/1.2 | ग्राम खेडा पलोला में मृदा गुणवत्ता उपचार एवम कृषि उत्पादन उन्नयन हेतु जिप्सम उपचार                            | खेडा पलोला | कोठिया             | फुलियां कलां | फुलियां कलां | शाहपुरा      | 32<br>49<br>-<br>32<br>58     | 28.02.<br>2024 | 9.65                | 916-918                          | 20.06.<br>2023 | 9.65                | 9.65                    |
| 4      | JC/HZL/RP/2024-25/AG/2.2 | ग्राम खेडा पलोला में मृदा गुणवत्ता उपचार एवम कृषि उत्पादन उन्नयन हेतु हरित मेनियुर (ढेंचा बुवाई आधारित उपचार) | खेडा पलोला | कोठिया             | फुलियां कलां | फुलियां कलां | शाहपुरा      | 32<br>49<br>-<br>32<br>58     | 28.02.<br>2024 | 4.20                | 916-918                          | 20.06.<br>2023 | 4.20                | 4.20                    |
|        |                          |                                                                                                               |            |                    |              |              | योग          |                               |                | 30.32               |                                  |                | 30.32               | 30.32                   |

(अक्षरे तीस लाख बत्तीस हजार मात्र)

#### निम्नांकित शर्तों की पालना की जाएं :-

- स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे।
- कार्य अनुमोदित तकनीकी स्वीकृति अनुरूप ही करवाया जावे।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजना व कार्य का नाम, कार्य प्रारम्भ की दिनांक, कार्य की सम्भावित समाप्ति दिनांक आदि सूचना अंकित हो, प्रदर्श बोर्ड लगाना आवश्यक है। जिस पर स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, कार्य पूर्णता की अवधि आदि सूचना अंकित हो।
- राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013, विभागीय निर्देश, जीएफएण्डएआर के नियमों की शत- प्रतिशत पालना, परिपत्र एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- विभागीय नियमों के अन्तर्गत प्रक्रिया एवं स्वीकृति राशि के अनुसार वर्णित समय सीमा में कार्य पूर्ण कराया जावे। कार्य के सम्पादन/प्रक्रिया/गतिविधि में विलम्ब होने पर सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी एवं उसके अधिकारी/कार्मिक जिम्मेवार होंगे। कार्य के पूर्ण होने में अप्रत्याशित अथवा तकनीकी कारणों से विलम्ब होने से यदि लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी उत्तरदायी होगी।
- विवादग्रस्त निजी अथवा किसी समाज/वर्ग विशेष के स्थल पर कार्य होने की स्थिति में किसी भी परिस्थिति में कार्य नहीं कराया जावे। ऐसा होने की स्थिति में जिला कलक्टर भीलवाड़ा को सूचित करें अन्यथा इसके लिये कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार रहेगी।
- स्वीकृत कार्य किसी भी अन्य योजना पूर्व में स्वीकृत है तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावे, इसकी सूचना कार्यालय जिला कलक्टर को अविलम्ब प्रस्तुत की जावे।

8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वर्तमान में जो कार्य की स्थिति है उसका अक्षांश व देशान्तर सहित सड़क के दोनों छोर पर फोटो लेने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जावे। प्रगतिरत कार्य एवं पूर्ण कार्य का एक ही एंगल से लिया गया फोटो यू0सी0 के साथ संलग्न किया जावे। इसी प्रकार निरीक्षणकर्ता अधिकारी के द्वारा जीपीएस युक्त दिनांकित फोटो भी लिया जावे।
9. कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ चैक लिस्ट समस्त प्रविष्टियों सहित आवश्यक रूप से संलग्न की जावे, चैक लिस्ट में अंकित निर्देशों की पालना की जावे।
10. माननीय एनजीटी प्रकरण हिन्दुस्तान जिंक लि. पुनर्स्थापन योजना अन्तर्गत चिह्नित कार्यों का भुगतान माननीय एनजीटी के आदेश की अनुपालना में हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा जमा की गई राशि के अन्तर्गत निर्धारित पुनर्स्थापन फण्ड(संयुक्त बैंक खाता) में उपलब्ध राशि से किया जाएगा तथा
  - A. कार्य का कार्यादेश जारी होने और कार्य प्रारम्भ की सूचना प्राप्त होने तथा कार्य प्रारम्भ एवं प्रदर्श बोर्ड दोनों का जीपीएस युक्त फोटो प्राप्त होने व खनिज विभाग से STP का विकल्प प्राप्त होने पर कार्यादेश की 50% अग्रिम प्रथम किश्त की राशि जारी की जावेगी।
  - B. प्रथम किश्त का निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कार्यादेश का 30% राशि द्वितीय किश्त की जारी की जावेगी। कार्य पूर्णता की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड अनुसार कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कार्य की अवशेष राशि/अंतिम किश्त जारी की जावेगी।
11. कार्यकारी एजेन्सी के कनिष्ठ/सहायक/अधिक्षापी/अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी द्वारा विभागीय नॉम्स के अनुसार स्वीकृत कार्यों का निरीक्षण कर मासिक सूचना सदस्य सचिव को भेजेगे।
12. स्वीकृत राशि के विरुद्ध निर्धारित पुनर्स्थापन फण्ड(संयुक्त बैंक खाता) द्वारा रिलीज राशि का लेखा-जोखा विभागीय (सार्वजनिक निर्माण विभाग) निर्देश/नियम के अनुसार संधारण करेंगे।
13. कार्यों की प्रगति प्रतिमाह की 7 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
14. सृजित परिसम्पत्ति का अनुरक्षण एवं मरम्मत की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यकारी संस्था/सम्बन्धित विभाग की होगी।
15. सामग्री क्रय – GEM Portal के माध्यम से कर राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना की जावे।
16. कार्य समय पर प्रारम्भ, पूर्ण एवं गुणवत्ता की सुनिश्चितता करावे।
17. संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना द्वारा वित्तीय स्वीकृति अनुसार रिलीज राशि नियुक्त जिला स्तरीय एकरूपता समिति द्वारा कार्य क्रियान्वन एवम पूर्ण होने के समय अनुवीक्षण/मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने की शर्त के अधीन रहेगी।

(नमित मेहता)  
जिला कलक्टर एवं  
सदस्य संयुक्त समिति हिन्दुस्तान  
जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना  
भीलवाड़ा

क्रमांक : JC/HZL/RP/2024-25/ 552/1 - 552/14

दिनांक :- 21/06/2024

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सहायक जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा/शाहपुरा।
2. सदस्य सचिव निजी सहायक रा.प्र.नि.म. जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा।
4. सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी हुरड़ा / फुलियाकला । .....
5. सम्बन्धित तहसीलदारा हुरड़ा / फुलियाकला
6. संयुक्त निदेशक, कृषि विस्तार, जिला परिषद, भीलवाड़ा।
7. जिला कोषाधिकारी, भीलवाड़ा
8. श्री सुनील मीणा, सदस्य, संयुक्त समिति एवं वैज्ञानिक - डी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
9. क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म., भीलवाड़ा।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिन्दुस्तान जिंक लि., तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।
11. रक्षित पत्रावली।

  
13/6/24

(विनय कट्टा)

क्षेत्रीय अधिकारी एवं नोडल एजेंसी संयुक्त समिती  
रा.प्र.नि.म., भीलवाड़ा

**संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना,**  
**प्रकरण संख्या 226/2020 एवं पुर्नविचार आवेदन संख्या 06/2022, रामपुरा आगूचा माईन्स प्रभावित क्षेत्र,**  
**कार्यालय, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा।**

क्रमांक : JC/HZL/RP/2024-25/ 547

दिनांक :- 21/06/2024

**वित्तीय स्वीकृति**

संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना, प्रकरण संख्या 226/2020 एवं पुर्नविचार आवेदन संख्या 06/2022, के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा मा.रा. हरित अधिकरण में प्रस्तुत प्रभावित क्षेत्र हेतु पुनर्स्थापन योजना के अनुक्रम में निम्नांकित कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। इस प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण खण्ड, भीलवाड़ा द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत की गई है। प्राप्त विस्तृत तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृतियों के आधार पर नीचे अंकित सारणी के 11 कार्य की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। :-

| S. No | Work ID                    | Name of work                                                                                                                                                    | Village     | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |                |                     | Technical Sanction Order/ letter |                |                     | Final Sanction Amount |
|-------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
|       |                            |                                                                                                                                                                 |             |                    |        |       |              | No.                           | Date           | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date           | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
| 1     | JC/HZL/RP/2024-25/PHED/3/1 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना (RTRWHS) - मरम्मत एवं रखरखाव (पुनर्स्थापन) स्थान - राजकीय यु.पी. एस. पारसरामपुरा<br>ग्राम - पारसरामपुरा<br>ग्राम पंचायत - आगूचा | पारसरामपुरा | आगूचा              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 323<br>6-<br>327<br>4         | 28.02.<br>2024 | 1.79                | 15                               | 30.04.2<br>024 | 1.79                | 1.79                  |

| S. No. | Work ID                     | Name of work                                                                                                                                                 | Village        | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |             |                     | Technical Sanction Order/ letter |             |                     | Final Sanction Amount |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                              |                |                    |        |       |              | No.                           | Date        | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date        | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
| 2      | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/3/2 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना (RTRWHS) - मरम्मत एवं रखरखाव (पुनर्स्थापन) स्थान - राजकीय पी.एस. इंदिरा का खेडा ग्राम - इंदिरा का खेडा ग्राम पंचायत - आगूँचा | इंदिरा का खेडा | आगूँचा             | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 323 6-327 4                   | 28.02. 2024 | 1.53                | 16                               | 30.04.2 024 | 1.53                | 1.53                  |
| 3      | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/3/3 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना (RTRWHS) - मरम्मत एवं रखरखाव (पुनर्स्थापन) स्थान - राजकीय पी.एस. मूल जी का खेडा ग्राम - मूल जी का खेडा ग्राम पंचायत - आगूँचा | मूल जी का खेडा | आगूँचा             | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 323 6-327 4                   | 28.02. 2024 | 2.47                | 17                               | 30.04.2 024 | 2.47                | 2.47                  |
| 4      | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/3/4 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना (RTRWHS) - मरम्मत एवं रखरखाव (पुनर्स्थापन) स्थान - राजकीय यु.पी. एस. चैनपुरिया ग्राम - चैनपुरिया ग्राम पंचायत - भोजरास       | चैनपुरिया      | भोजरास             | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 323 6-327 4                   | 28.02. 2024 | 1.34                | 18                               | 30.04.2 024 | 1.34                | 1.34                  |
| 5      | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/3/5 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना                                                                                                                              | चैनपुरिया      | भोजरास             | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 323 6-327                     | 28.02. 2024 | 2.34                | 19                               | 30.04.2 024 | 2.34                | 2.34                  |

| S. No. | Work ID                     | Name of work                                                                                                                                                                         | Village          | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |                |                     | Technical Sanction Order/ letter |                |                     | Final Sanction Amount |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                      |                  |                    |        |       |              | No.                           | Date           | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date           | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
|        |                             | (RTRWHS) - मरम्मत एवं रखरखाव (पुनर्स्थापन) स्थान - राजकीय पी.एस. सुरजपुरा<br>ग्राम - चैनपुरिया<br>ग्राम पंचायत - भोजरास                                                              |                  |                    |        |       |              | 4                             |                |                     |                                  |                |                     |                       |
| 6      | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/3/6 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना (RTRWHS) - मरम्मत एवं रखरखाव (पुनर्स्थापन) स्थान - राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हुरडा<br>ग्राम - हुरडा<br>ग्राम पंचायत - हुरडा                      | हुरडा            | हुरडा              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 323<br>6-<br>327<br>4         | 28.02.<br>2024 | 1.78                | 20                               | 30.04.2<br>024 | 1.78                | 1.78                  |
| 7      | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/3/7 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना (RTRWHS) - मरम्मत एवं रखरखाव (पुनर्स्थापन) स्थान थान - राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटडी पुराना भवन<br>ग्राम - कोटडी<br>ग्राम पंचायत - कोटडी | कोटडी            | कोटडी              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 323<br>6-<br>327<br>4         | 28.02.<br>2024 | 1.14                | 21                               | 30.04.2<br>024 | 1.14                | 1.14                  |
| 8      | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/3/8 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना                                                                                                                                                      | ओल्ड लक्ष्मीपुरा | कोटडी              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 323<br>6-<br>327              | 28.02.<br>2024 | 2.74                | 22                               | 30.04.2<br>024 | 2.74                | 2.74                  |

| S. No. | Work ID                         | Name of work                                                                                                                                                                            | Village          | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |                |                     | Technical Sanction Order/ letter |                |                     | Final Sanction Amount |
|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
|        |                                 |                                                                                                                                                                                         |                  |                    |        |       |              | No.                           | Date           | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date           | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
|        |                                 | (RTRWHS) - मरम्मत एवं रखरखाव (पुनर्स्थापन)<br>स्थान - राजकीय पी.एस.<br>ओल्ड लक्ष्मीपुरा<br>ग्राम - ओल्ड लक्ष्मीपुरा<br>ग्राम पंचायत - कोटडी                                             |                  |                    |        |       |              | 4                             |                |                     |                                  |                |                     |                       |
| 9      | JC/HZL/RP/2024-25/<br>PHED/3/9  | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना<br>(RTRWHS) - मरम्मत एवं रखरखाव (पुनर्स्थापन)<br>स्थान - आंगनबाडी न्यु लक्ष्मीपुरा / पी.एस. संस्कृत<br>ग्राम - न्यु लक्ष्मीपुरा<br>ग्राम पंचायत - कोटडी | न्यु लक्ष्मीपुरा | कोटडी              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 323<br>6-<br>327<br>4         | 28.02.<br>2024 | 2.72                | 23                               | 30.04.2<br>024 | 2.72                | 2.72                  |
| 10     | JC/HZL/RP/2024-25/<br>PHED/3/10 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना<br>(RTRWHS) - मरम्मत एवं रखरखाव (पुनर्स्थापन)<br>स्थान - राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय<br>अमरतिया<br>ग्राम - अमरतिया<br>ग्राम पंचायत - बडला             | अमरतिया          | बडला               | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 323<br>6-<br>327<br>4         | 28.02.<br>2024 | 1.82                | 24                               | 30.04.2<br>024 | 1.82                | 1.82                  |

| S. No. | Work ID                      | Name of work                                                                                                                                               | Village        | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |             |                     | Technical Sanction Order/ letter |             |                     | Final Sanction Amount |
|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
|        |                              |                                                                                                                                                            |                |                    |        |       |              | No.                           | Date        | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date        | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
| 11     | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/3/11 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना (RTRWHS) - मरम्मत एवं रखरखाव (पुनर्स्थापन) स्थान - राजकीय पी.एस. उर्जा का खेड़ा ग्राम - उर्जा का खेड़ा ग्राम पंचायत - बडला | उर्जा का खेड़ा | बडला               | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 323 6-327 4                   | 28.02. 2024 | 1.90                | 25                               | 30.04.2 024 | 1.90                | 1.90                  |
|        |                              |                                                                                                                                                            |                |                    |        |       | योग          |                               |             | 21.57               |                                  |             | 21.57               | 21.57                 |

(अक्षरे ईक्कीस लाख सतावन हजार मात्र)

#### निम्नांकित शर्तों की पालना की जावे :-

- स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे।
- कार्य अनुमोदित तकनीकी स्वीकृति अनुरूप ही करवाया जावे।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजना व कार्य का नाम, कार्य प्रारम्भ की दिनांक, कार्य की सम्भावित समाप्ति दिनांक आदि सूचना अंकित हो, प्रदर्श बोर्ड लगाना आवश्यक है। जिस पर स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, कार्य पूर्णता की अवधि आदि सूचना अंकित हो।
- राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013, विभागीय निर्देश, जीएफएण्डएआर के नियमों की शर्त- प्रतिशत पालना, परिपत्र एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- विभागीय नियमों के अन्तर्गत प्रक्रिया एवं स्वीकृति राशि के अनुसार वर्णित समय सीमा में कार्य पूर्ण कराया जावे। कार्य के सम्पादन/प्रक्रिया/गतिविधि में विलम्ब होने पर सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी एवं उसके अधिकारी/कार्मिक जिम्मेवार होंगे। कार्य के पूर्ण होने में अप्रत्याशित अथवा तकनीकी कारणों से विलम्ब होने से यदि लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी उत्तरदायी होगी।
- विवादग्रस्त निजी अथवा किसी समाज/वर्ग विशेष के स्थल पर कार्य होने की स्थिति में किसी भी परिस्थिति में कार्य नहीं कराया जावे। ऐसा होने की स्थिति में जिला कलक्टर भीलवाड़ा को सूचित करें अन्यथा इसके लिये कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार रहेगी।
- स्वीकृत कार्य किसी भी अन्य योजना पूर्व में स्वीकृत है तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावे, इसकी सूचना कार्यालय जिला कलक्टर को अविलम्ब प्रस्तुत की जावे।
- कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वर्तमान में जो कार्य की स्थिति है उसका अक्षांश व देशान्तर सहित कार्य के दोनो छोर पर फोटो लेने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जावे। प्रगतिस्त कार्य एवं पूर्ण कार्य का एक ही एंगल से लिया गया फोटो यू0सी0 के साथ संलग्न किया जावे। इसी प्रकार निरीक्षणकर्ता अधिकारी के द्वारा जीपीएस युक्त दिनांकित फोटो भी लिया जावे।

9. कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ बैंक लिस्ट समस्त प्रविष्टियों सहित आवश्यक रूप से संलग्न की जाएं, बैंक लिस्ट में अंकित निर्देशों की पालना की जाएं।
10. माननीय एनजीटी प्रकरण हिन्दुस्तान जिंक लि. पुनर्स्थापन योजना अन्तर्गत चिन्हित कार्यों का भुगतान माननीय एनजीटी के आदेश की अनुपालना में हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा जमा की गई राशि के अन्तर्गत निर्धारित पुनर्स्थापन फण्ड(संयुक्त बैंक खाता) में उपलब्ध राशि से किया जाएगा तथा
  - A. कार्य का कार्यादेश जारी होने और कार्य प्रारम्भ की सूचना प्राप्त होने तथा कार्य प्रारम्भ एवं प्रदर्श बोर्ड दोनों का जीपीएस युक्त फोटो प्राप्त होने व खनिज विभाग से STP का विकल्प प्राप्त होने पर कार्यादेश की 50% अग्रिम प्रथम किश्त की राशि जारी की जावेगी।
  - B. प्रथम किश्त का निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कार्यादेश का 30% राशि द्वितीय किश्त की जारी की जावेगी। कार्य पूर्णता की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड अनुसार कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कार्य की अवशेष राशि/अंतिम किश्त जारी की जावेगी।
11. कार्यकारी एजेन्सी के कनिष्ठ/सहायक/अधिक्षापी/अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी द्वारा विभागीय नॉम्स के अनुसार स्वीकृत कार्यों का निरीक्षण कर मासिक सूचना सदस्य सचिव को भेजेगे।
12. स्वीकृत राशि के विरुद्ध निर्धारित पुनर्स्थापन फण्ड(संयुक्त बैंक खाता) द्वारा रिलीज राशि का लेखा-जोखा विभागीय (सार्वजनिक निर्माण विभाग) निर्देश/नियम के अनुसार संधारण करेंगे।
13. कार्यों की प्रगति प्रतिमाह की 7 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जाएं।
14. सृजित परिसम्पत्ति का अनुरक्षण एवं मरम्मत की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यकारी संस्था/सम्बन्धित विभाग की होगी।
15. सामग्री क्रय - GEM Portal के माध्यम से कर राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना की जाएं।
16. कार्य समय पर प्रारम्भ, पूर्ण एवं गुणवत्ता की सुनिश्चितता करावें।
17. संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना द्वारा वित्तीय स्वीकृति अनुसार रिलीज राशि नियुक्त जिला स्तरीय एकरूपता समिति द्वारा कार्य क्रियान्वन एवम पूर्ण होने के समय अनुवीक्षण/मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने की शर्त के अधीन रहेगी।

(नमित मेहता)

जिला कलक्टर एवं सदस्य संयुक्त समिति हिन्दुस्तान  
जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना  
भीलवाड़ा

क्रमांक : JC/HZL/RP/2024-25/

548/1-548/11

दिनांक :- 21/06/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सहायक जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा।
2. सदस्य सचिव निजी सहायक रा.प्र.नि.म. जयपुर।
3. संबंधित उपखण्ड अधिकारी, हुरडा।
4. संबंधित तहसीलदार, हुरडा।
5. जिला कोषाधिकारी, भीलवाड़ा।
6. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त भीलवाड़ा।
7. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड/ग्रामीण खण्ड, भीलवाड़ा।
8. श्री सुनील मीणा, सदस्य, संयुक्त समिति एवं वैज्ञानिक - डी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
9. क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. भीलवाड़ा।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिन्दुस्तान जिंक लि., तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा।
11. रक्षित पत्रावली।

  
13/6/24

(विनय कट्टा)

क्षेत्रीय अधिकारी एवं नोडल एजेंसी संयुक्त समिती  
रा.प्र.नि.म., भीलवाड़ा

संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना,

प्रकरण संख्या 226/2020 एवं पुर्नविचार आवेदन संख्या 06/2022, रामपुरा आगूचा माईन्स प्रभावित क्षेत्र,

कार्यालय, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा।

क्रमांक : JC/HZL/RP/2024-25/ 545

दिनांक :- 21/06/2024

वित्तीय स्वीकृति

संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना, प्रकरण संख्या 226/2020 एवं पुर्नविचार आवेदन संख्या 06/2022, के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा मा.रा. हरित अधिकरण में प्रस्तुत प्रभावित क्षेत्र हेतु पुनर्स्थापन योजना के अनुक्रम में निम्नांकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। इस प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण खण्ड, भीलवाड़ा द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत की गई है। प्राप्त विस्तृत तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृतियों के आधार पर नीचे अंकित सारणी के 14 कार्य की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।:-

| S. No. | Work ID                    | Name of work                                                                                                                        | Village | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |            |                     | Technical Sanction Order/ letter |            |                     | Final Sanction Amount |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
|        |                            |                                                                                                                                     |         |                    |        |       |              | No.                           | Date       | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date       | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
| 1      | JC/HZL/RP/2024-25/PHED/3/1 | नवीन पेयजल आर. ओ. प्लांट(क्षमता - 0.5 KLPH) की स्थापना एवं रखरखाव (7वर्ष) प्रस्तावित स्थान - ग्राम - अमरतिया ग्राम पंचायत - बराठिया | अमरतिया | बराठिया            | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3306-3307/11                  | 28.02.2024 | 22.50               | 08                               | 30.04.2024 | 22.50               | 22.50                 |
| 2      | JC/HZL/RP/2024-25/PHED/3/2 | नवीन पेयजल आर. ओ. प्लांट(क्षमता- 0.5 KLPH ) की स्थापना एवं रखरखाव (7वर्ष) प्रस्तावित स्थान -                                        | भोजरास  | भोजरास             | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3306-3307/11                  | 28.02.2024 | 22.50               | 03                               | 30.04.2024 | 22.50               | 22.50                 |

| S. No. | Work ID                    | Name of work                                                                                                                                       | Village     | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |                |                     | Technical Sanction Order/ letter |                |                     | Final Sanction Amount |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
|        |                            |                                                                                                                                                    |             |                    |        |       |              | No.                           | Date           | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date           | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
|        |                            | ग्राम - भोजरास<br>ग्राम पंचायत - भोजरास                                                                                                            |             |                    |        |       |              |                               |                |                     |                                  |                |                     |                       |
| 3      | JC/HZL/RP/2024-25/PHED/3/3 | नवीन पेयजल आर. ओ.<br>प्लांट(क्षमता -0.5 KLPH )<br>की स्थापना एवं रखरखाव<br>(7वर्ष) प्रस्तावित स्थान -<br>ग्राम - भगवानपुरा<br>ग्राम पंचायत - आगूचा | भगवानपुरा   | आगूचा              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 330<br>6-<br>330<br>7/1<br>1  | 28.02<br>.2024 | 22.50               | 02                               | 30.04.2<br>024 | 22.50               | 22.50                 |
| 4      | JC/HZL/RP/2024-25/PHED/3/4 | नवीन पेयजल आर. ओ.<br>प्लांट(क्षमता -0.5 KLPH )<br>की स्थापना एवं रखरखाव<br>(7वर्ष) प्रस्तावित स्थान -<br>ग्राम - कोटडी<br>ग्राम पंचायत - कोटडी     | कोटडी       | कोटडी              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 330<br>6-<br>330<br>7/1<br>1  | 28.02<br>.2024 | 22.50               | 12                               | 30.04.2<br>024 | 22.50               | 22.50                 |
| 5      | JC/HZL/RP/2024-25/PHED/3/5 | नवीन पेयजल आर. ओ.<br>प्लांट(क्षमता -0.5 KLPH )<br>की स्थापना एवं रखरखाव<br>(7वर्ष) प्रस्तावित स्थान -<br>ग्राम - बराठिया<br>ग्राम पंचायत - बराठिया | बराठिया     | बराठिया            | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 330<br>6-<br>330<br>7/1<br>1  | 28.02<br>.2024 | 22.50               | 06                               | 30.04.2<br>024 | 22.50               | 22.50                 |
| 6      | JC/HZL/RP/2024-25/PHED/3/6 | नवीन पेयजल आर. ओ.<br>प्लांट(क्षमता -0.5 KLPH )<br>की स्थापना एवं रखरखाव<br>(7वर्ष) प्रस्तावित स्थान -<br>ग्राम - आनंदीपुरा<br>ग्राम पंचायत - कोटडी | आनंदीपुरा   | कोटडी              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 330<br>6-<br>330<br>7/1<br>1  | 28.02<br>.2024 | 22.50               | 07                               | 30.04.2<br>024 | 22.50               | 22.50                 |
| 7      | JC/HZL/RP/2024-25/PHED/3/7 | नवीन पेयजल आर. ओ.<br>प्लांट(क्षमता -0.5 KLPH )<br>की स्थापना एवं रखरखाव                                                                            | लक्ष्मीपुरा | कोटडी              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 330<br>6-<br>330              | 28.02<br>.2024 | 22.50               | 14                               | 30.04.2<br>024 | 22.50               | 22.50                 |

| S. No. | Work ID                         | Name of work                                                                                                                                           | Village           | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |                |                     | Technical Sanction Order/ letter |                |                     | Final Sanction Amount |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
|        |                                 |                                                                                                                                                        |                   |                    |        |       |              | No.                           | Date           | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date           | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
|        |                                 | (7वर्ष) प्रस्तावित स्थान –<br>ग्राम – लक्ष्मीपुरा<br>ग्राम पंचायत – कोटडी                                                                              |                   |                    |        |       |              | 7/1<br>1                      |                |                     |                                  |                |                     |                       |
| 8      | JC/HZL/RP/2024-25/<br>PHED/3/8  | नवीन पेयजल आर. ओ.<br>प्लांट(क्षमता –0.5 KLPH)<br>की स्थापना एवं रखरखाव<br>(7वर्ष) प्रस्तावित स्थान –<br>ग्राम – मून जी का खेडा<br>ग्राम पंचायत – आगूचा | मून जी का<br>खेडा | आगूचा              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 330<br>6-<br>330<br>7/1<br>1  | 28.02<br>.2024 | 22.50               | 10                               | 30.04.2<br>024 | 22.50               | 22.50                 |
| 9      | JC/HZL/RP/2024-25/<br>PHED/3/9  | नवीन पेयजल आर. ओ.<br>प्लांट(क्षमता –0.5 KLPH)<br>की स्थापना एवं रखरखाव<br>(7वर्ष) प्रस्तावित स्थान –<br>ग्राम – लक्ष्मणपुरा<br>ग्राम पंचायत – भोजरास   | लक्ष्मणपुरा       | भोजरास             | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 330<br>6-<br>330<br>7/1<br>1  | 28.02<br>.2024 | 22.50               | 11                               | 30.04.2<br>024 | 22.50               | 22.50                 |
| 10     | JC/HZL/RP/2024-25/<br>PHED/7/10 | नवीन पेयजल आर. ओ.<br>प्लांट(क्षमता –0.5 KLPH)<br>की स्थापना एवं रखरखाव<br>(7वर्ष) प्रस्तावित स्थान –<br>ग्राम – चैनपुरिया<br>ग्राम पंचायत – भोजरास     | चैनपुरिया         | भोजरास             | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 330<br>6-<br>330<br>7/1<br>1  | 28.02<br>.2024 | 22.50               | 01                               | 30.04.2<br>024 | 22.50               | 22.50                 |
| 11     | JC/HZL/RP/2024-25/<br>PHED/3/11 | नवीन पेयजल आर. ओ.<br>प्लांट(क्षमता –0.5 KLPH)<br>की स्थापना एवं रखरखाव<br>(7वर्ष) प्रस्तावित स्थान –<br>ग्राम – इंद्रा का खेडा<br>ग्राम पंचायत – आगूचा | इंद्रा का खेडा    | आगूचा              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 330<br>6-<br>330<br>7/1<br>1  | 28.02<br>.2024 | 22.50               | 13                               | 30.04.2<br>024 | 22.50               | 22.50                 |
| 12     | JC/HZL/RP/2024-25/<br>PHED/3/12 | नवीन पेयजल आर. ओ.<br>प्लांट(क्षमता –0.5 KLPH)<br>की स्थापना एवं रखरखाव                                                                                 | बालापुरा          | बराठिया            | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 330<br>6-<br>330              | 28.02<br>.2024 | 22.50               | 05                               | 30.04.2<br>024 | 22.50               | 22.50                 |

| S. No. | Work ID                         | Name of work                                                                                                                                            | Village          | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |                |                     | Technical Sanction Order/ letter |                |                     | Final* Sanction Amount |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|------------------------|
|        |                                 |                                                                                                                                                         |                  |                    |        |       |              | No.                           | Date           | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date           | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)           |
|        |                                 | (7वर्ष) प्रस्तावित स्थान –<br>ग्राम – बालापुरा<br>ग्राम पंचायत – बराठिया                                                                                |                  |                    |        |       |              | 7/1<br>1                      |                |                     |                                  |                |                     |                        |
| 13     | JC/HZL/RP/2024-25/<br>PHED/7/13 | नवीन पेयजल आर. ओ.<br>प्लांट(क्षमता –0.5 KLPH) की<br>स्थापना एवं रखरखाव (7वर्ष)<br>प्रस्तावित स्थान –<br>ग्राम – उर्जा का खेडा<br>ग्राम पंचायत – बराठिया | उर्जा का<br>खेडा | बराठिया            | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 330<br>6-<br>330<br>7/1<br>1  | 28.02.<br>2024 | 22.50               | 09                               | 30.04.2<br>024 | 22.50               | 22.50                  |
| 14     | JC/HZL/RP/2024-25/<br>PHED/7/14 | नवीन पेयजल आर. ओ.<br>प्लांट(क्षमता –0.5 KLPH) की<br>स्थापना एवं रखरखाव (7वर्ष)<br>प्रस्तावित स्थान –<br>ग्राम – बावलो का खेडा<br>ग्राम पंचायत –हुरडा    | बावलो का<br>खेडा | हुरडा              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 330<br>6-<br>330<br>7/1<br>1  | 28.02.<br>2024 | 22.50               | 04                               | 30.04.2<br>024 | 22.50               | 22.50                  |
|        |                                 |                                                                                                                                                         |                  |                    |        |       | योग          |                               |                | 315.00              |                                  |                | 315.00              | 315.00                 |

(अक्षरे तीन करोड़ पन्द्रह लाख मात्र)

निम्नांकित शर्तों की पालना की जावे :-

- स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे।
- कार्य अनुमोदित तकनीकी स्वीकृति अनुरूप ही करवाया जावे।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजना व कार्य का नाम, कार्य प्रारम्भ की दिनांक, कार्य की सम्भावित समाप्ति दिनांक आदि सूचना अंकित हो, प्रदर्श बोर्ड लगाना आवश्यक है। जिस पर स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, कार्य पूर्णता की अवधि आदि सूचना अंकित हो।
- राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013, विभागीय निर्देश, जीएफएण्डएआर के नियमों की शत- प्रतिशत पालना, परिपत्र एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- विभागीय नियमों के अन्तर्गत प्रक्रिया एवं स्वीकृति राशि के अनुसार वर्णित समय सीमा में कार्य पूर्ण कराया जावे। कार्य के सम्पादन/प्रक्रिया/गतिविधि में विलम्ब होने पर सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी एवं उसके अधिकारी/कार्मिक जिम्मेवार होंगे। कार्य के पूर्ण होने में अप्रत्याशित अथवा तकनीकी कारणों से विलम्ब होने से यदि लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी उत्तरदायी होगी।

6. विवादग्रस्त निजी अथवा किसी समाज/वर्ग विशेष के स्थल पर कार्य होने की स्थिति में किसी भी परिस्थिति में कार्य नहीं कराया जावे। ऐसा होने की स्थिति में जिला कलक्टर भीलवाड़ा को सूचित करें अन्यथा इसके लिये कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार रहेगी।
7. स्वीकृत कार्य किसी भी अन्य योजना पूर्व में स्वीकृत है तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावे, इसकी सूचना कार्यालय जिला कलक्टर को अविलम्ब प्रस्तुत की जावे।
8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वर्तमान में जो कार्य की स्थिति है उसका अक्षांश व देशान्तर सहित कार्य के दोनो छोर पर फोटो लेने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जावे। प्रगतिरक्त कार्य एवं पूर्ण कार्य का एक ही एंगल से लिया गया फोटो यू0सी0 के साथ संलग्न किया जावे। इसी प्रकार निरीक्षणकर्ता अधिकारी के द्वारा जीपीएस युक्त दिनांकित फोटो भी लिया जावे।
9. कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ चैक लिस्ट समस्त प्रविष्टियों सहित आवश्यक रूप से संलग्न की जावे, चैक लिस्ट में अंकित निर्देशों की पालना की जावे।
10. माननीय एनजीटी प्रकरण हिन्दुस्तान जिक लि. पुनर्स्थापन योजना अन्तर्गत चिन्हित कार्यों का भुगतान माननीय एनजीटी के आदेश की अनुपालना में हिन्दुस्तान जिक लि. द्वारा जमा की गई राशि के अन्तर्गत निर्धारित पुनर्स्थापन फण्ड(संयुक्त बैंक खाता) में उपलब्ध राशि से किया जाएगा तथा
  - A. कार्य का कार्यादेश जारी होने और कार्य प्रारम्भ की सूचना प्राप्त होने तथा कार्य प्रारम्भ एवं प्रदर्श बोर्ड दोनो का जीपीएस युक्त फोटो प्राप्त होने व खनिज विभाग से STP का विकल्प प्राप्त होने पर कार्यादेश की 50% अग्रिम प्रथम किश्त की राशि जारी की जावेगी।
  - B. प्रथम किश्त का निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कार्यादेश का 30% राशि द्वितीय किश्त की जारी की जावेगी। कार्य पूर्णता की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड अनुसार कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कार्य की अवशेष राशि/अंतिम किश्त जारी की जावेगी।
11. कार्यकारी एजेन्सी के कनिष्ठ/सहायक/अधिक्षापी/अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी द्वारा विभागीय नॉर्म्स के अनुसार स्वीकृत कार्यों का निरीक्षण कर मासिक सूचना सदस्य सचिव को भेजेगे।
12. स्वीकृत राशि के विरुद्ध निर्धारित पुनर्स्थापन फण्ड(संयुक्त बैंक खाता) द्वारा रिलीज राशि का लेखा-जोखा विभागीय (सार्वजनिक निर्माण विभाग) निर्देश/नियम के अनुसार संधारण करेंगे।
13. कार्यों की प्रगति प्रतिमाह की 7 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
14. सृजित परिसम्पत्ति का अनुरक्षण एवं मरम्मत की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यकारी संस्था/सम्बन्धित विभाग की होगी।
15. सामग्री क्रय – GEM Portal के माध्यम से कर राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना की जावे।
16. कार्य समय पर प्रारम्भ, पूर्ण एवं गुणवत्ता की सुनिश्चितता करावे।
17. संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना द्वारा वित्तीय स्वीकृति अनुसार रिलीज राशि नियुक्त जिला स्तरीय एकरूपता समिति द्वारा कार्य की एवम पूर्ण होने के समय अनुवीक्षण/मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने की शर्त के अधीन रहेगी।
18. बिन्दू संख्या 9 पर पूर्व में जारी प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 28.02.2024 में ग्राम – लक्ष्मीपुरा, पंचायत कोटडी को उपलब्ध अभिलेख एवं प्राप्त तकनीकी स्वी आधार पर टंकण शुद्धिकरण उपरान्त ग्राम – लक्ष्मणपुरा, पंचायत-भोजरास किया गया।

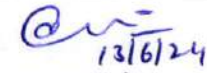
(नमित मेहता)  
जिला कलक्टर एवं सदस्य संयुक्त समिति हिन्दुस्तान  
जिक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना  
भीलवाड़ा

क्रमांक : JC/HZL/RP/2024-25/ 546/1 - 546/11

दिनांक :- 21/06/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सहायक जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा।
2. सदस्य सचिव निजी सहायक रा.प्र.नि.म. जयपुर।
3. संबंधित उपखण्ड अधिकारी, हुरडा।
4. संबंधित तहसीलदार, हुरडा।
5. जिला कोषाधिकारी, भीलवाड़ा।
6. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त भीलवाड़ा।
7. अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण खण्ड, भीलवाड़ा।
8. श्री सुनील मीणा, सदस्य, संयुक्त समिति एवं वैज्ञानिक - डी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
9. क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. भीलवाड़ा।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिन्दुस्तान जिंक लि., तहसील हुरडा जिला भीलवाड़ा।
11. रक्षित पत्रावली।

  
13/6/24

(विनय कट्टा)

क्षेत्रीय अधिकारी एवं नोडल एजेंसी संयुक्त समिती  
रा.प्र.नि.म., भीलवाड़ा

संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना,  
प्रकरण संख्या 226/2020 एवं पुर्नविचार आवेदन संख्या 06/2022, रामपुरा आगूचा माईन्स प्रभावित क्षेत्र,  
कार्यालय, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा।

क्रमांक : JC/HZL/RP/2024-25/ 533

दिनांक :- 21/06/2024

वित्तीय स्वीकृति

संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना, प्रकरण संख्या 226/2020 एवं पुर्नविचार आवेदन संख्या 06/2022, के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा मा.रा. हरित अधिकरण में प्रस्तुत प्रभावित क्षेत्र हेतु पुनर्स्थापन योजना के अनुक्रम में निम्नांकित कार्यो की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। इस प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में विकास अधिकारी, ब्लॉक हुरडा, जिला-भीलवाडा द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत की गई है। प्राप्त विस्तृत तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृतियों के आधार पर नीचे अंकित सारणी के 30 कार्य की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। :-

| S. No. | Work ID                | Name of work                                                                                                             | Village     | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |            |                     | Technical Sanction Order/ letter |            |                     | Final Sanction Amount |
|--------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
|        |                        |                                                                                                                          |             |                    |        |       |              | No.                           | Date       | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date       | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
| 1      | JC/HZL/RP/2024-25/17/1 | पेयजल पशु खेली निर्माण नवीन -<br>प्रस्तावित स्थान - पेयजल पशु खेली निर्माण<br>ग्राम - आनन्दीपुरा<br>ग्राम पंचायत - कोटडी | आनन्दीपुरा  | कोटडी              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 94                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |
| 2      | JC/HZL/RP/2024-25/17/2 | पेयजल पशु खेली निर्माण नवीन -<br>प्रस्तावित स्थान - पेयजल                                                                | लक्ष्मीपुरा | कोटडी              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 93                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |

| S. No. | Work ID                | Name of work                                                                                                                                            | Village     | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |            |                     | Technical Sanction Order/ letter |            |                     | Final * Sanction Amount |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|
|        |                        |                                                                                                                                                         |             |                    |        |       |              | No.                           | Date       | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date       | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)            |
|        |                        | पशु खेली निर्माण<br>ग्राम – लक्ष्मीपुरा<br>ग्राम पंचायत – कोटडी                                                                                         |             |                    |        |       |              |                               |            |                     |                                  |            |                     |                         |
| 3      | JC/HZL/RP/2024-25/17/3 | पेयजल पशु खेली निर्माण नवीन –<br>प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेली निर्माण भादवो की कोटडी बिजासन माताजी के पास<br>ग्राम – कोटडी<br>ग्राम पंचायत – कोटडी | कोटडी       | कोटडी              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 96                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                    |
| 4      | JC/HZL/RP/2024-25/17/4 | पेयजल पशु खेली निर्माण नवीन –<br>प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेली निर्माण ग्राम – लक्ष्मीपुरा<br>ग्राम पंचायत – कोटडी                                  | लक्ष्मीपुरा | कोटडी              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 97                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                    |
| 5      | JC/HZL/RP/2024-25/17/5 | पेयजल पशु खेली निर्माण नवीन –<br>प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेली निर्माण भादवो की कोटडी बस स्टेंड<br>ग्राम – कोटडी<br>ग्राम पंचायत – रूपाहेली         | कोटडी       | रूपाहेली           | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 95                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                    |
| 6      | JC/HZL/RP/2024-25/17/6 | पेयजल पशु खेली निर्माण नवीन –                                                                                                                           | रूपाहेली    | रूपाहेली           | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 90                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                    |

| S. No. | Work ID                 | Name of work                                                                                                                               | Village      | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |            |                     | Technical Sanction Order/ letter |            |                     | Final Sanction Amount |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
|        |                         |                                                                                                                                            |              |                    |        |       |              | No.                           | Date       | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date       | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
|        |                         | प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेली निर्माण रूपाहेली पशु चिकित्सालय के पास<br>ग्राम – रूपाहेली<br>ग्राम पंचायत – रूपाहेली                    |              |                    |        |       |              |                               |            |                     |                                  |            |                     |                       |
| 7      | JC/HZL/RP/2024-25/17/7  | पेयजल पशु खेली निर्माण नवीन –<br>प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेली निर्माण गरोलिया खेडा<br>ग्राम – गरोलिया खेडा<br>ग्राम पंचायत – रूपाहेली | गरोलिया खेडा | रूपाहेली           | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 89                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |
| 8      | JC/HZL/RP/2024-25/17/8  | पेयजल पशु खेली निर्माण नवीन –<br>प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेली निर्माण बडला<br>ग्राम – बडला<br>ग्राम पंचायत – बडला                     | बडला         | बडला               | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 72                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |
| 9      | JC/HZL/RP/2024-25/17/9  | पेयजल पशु खेली निर्माण नवीन –<br>प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेली निर्माण सुल्तानपुरा<br>ग्राम – सुल्तानपुरा<br>ग्राम पंचायत – बडला       | सुल्तानपुरा  | बडला               | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 73                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |
| 10     | JC/HZL/RP/2024-25/17/10 | पेयजल पशु खेली निर्माण नवीन –                                                                                                              | जयसिंहपुरा   | बडला               | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 74                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |

| S. No. | Work ID                 | Name of work                                                                                                                         | Village   | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |            |                     | Technical Sanction Order/ letter |            |                     | Final Sanction Amount |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
|        |                         |                                                                                                                                      |           |                    |        |       |              | No.                           | Date       | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date       | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
|        |                         | प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेती निर्माण जयसिंहपुरा ग्राम – जयसिंहपुरा ग्राम पंचायत – बडला                                          |           |                    |        |       |              |                               |            |                     |                                  |            |                     |                       |
| 11     | JC/HZL/RP/2024-25/17/11 | पेयजल पशु खेती निर्माण नवीन – प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेती निर्माण देवपुरा ग्राम – देवपुरा ग्राम पंचायत – भोजरास                | देवपुरा   | भोजरास             | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 75                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |
| 12     | JC/HZL/RP/2024-25/17/12 | पेयजल पशु खेती निर्माण नवीन – प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेती निर्माण बलवंतपुरा ग्राम – बलवंतपुरा ग्राम पंचायत – भोजरास            | बलवंतपुरा | भोजरास             | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 83                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |
| 13     | JC/HZL/RP/2024-25/17/13 | पेयजल पशु खेती निर्माण नवीन – प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेती निर्माण भोजरास हेण्डपम्प के पास ग्राम – भोजरास ग्राम पंचायत – भोजरास | भोजरास    | भोजरास             | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 102                              | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |
| 14     | JC/HZL/RP/2024-25/17/14 | पेयजल पशु खेती निर्माण नवीन –                                                                                                        | चैनपुरिया | भोजरास             | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 84                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |

| S. No. | Work ID                 | Name of work                                                                                                                           | Village     | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |            |                     | Technical Sanction Order/ letter |            |                     | Final Sanction Amount |
|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
|        |                         |                                                                                                                                        |             |                    |        |       |              | No.                           | Date       | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date       | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
|        |                         | प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेती निर्माण<br>चैनपुरिया<br>ग्राम – चैनपुरिया<br>ग्राम पंचायत – भोजरास                                   |             |                    |        |       |              |                               |            |                     |                                  |            |                     |                       |
| 15     | JC/HZL/RP/2024-25/17/15 | पेयजल पशु खेती निर्माण नवीन –<br>प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेती निर्माण लक्ष्मणपुरा<br>ग्राम – लक्ष्मणपुरा<br>ग्राम पंचायत – भोजरास | लक्ष्मणपुरा | भोजरास             | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 85                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |
| 16     | JC/HZL/RP/2024-25/17/16 | पेयजल पशु खेती निर्माण नवीन –<br>प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेती निर्माण आपलियास<br>ग्राम – आपलियास<br>ग्राम पंचायत – भोजरास         | आपलियास     | भोजरास             | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 86                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |
| 17     | JC/HZL/RP/2024-25/17/17 | पेयजल पशु खेती निर्माण नवीन –<br>प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेती निर्माण दौलतपुरा<br>ग्राम – दौलतपुरा<br>ग्राम पंचायत – भोजरास       | दौलतपुरा    | भोजरास             | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 87                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |

| S. No. | Work ID                 | Name of work                                                                                                                                     | Village       | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |            |                     | Technical Sanction Order/ letter |            |                     | Final Sanction Amount |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
|        |                         |                                                                                                                                                  |               |                    |        |       |              | No.                           | Date       | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date       | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
| 18     | JC/HZL/RP/2024-25/17/18 | पेयजल पशु खेली निर्माण नवीन –<br>प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेली निर्माण भोजरास तेजाजी के पास<br>ग्राम – भोजरास<br>ग्राम पंचायत – भोजरास       | भोजरास        | भोजरास             | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 88                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |
| 19     | JC/HZL/RP/2024-25/17/19 | पेयजल पशु खेली निर्माण नवीन –<br>प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेली निर्माण हुरडा छोटा बस स्टेण्ड के पास<br>ग्राम – हुरडा<br>ग्राम पंचायत – हुरडा | हुरडा         | हुरडा              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 101                              | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |
| 20     | JC/HZL/RP/2024-25/17/20 | पेयजल पशु खेली निर्माण नवीन –<br>प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेली निर्माण खातीखेडा<br>ग्राम – खातीखेडा<br>ग्राम पंचायत – हुरडा                  | खातीखेडा      | हुरडा              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 100                              | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |
| 21     | JC/HZL/RP/2024-25/17/21 | पेयजल पशु खेली निर्माण नवीन –<br>प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेली निर्माण बावलो का खेडा                                                         | बावलो का खेडा | हुरडा              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 99                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |

| S. No. | Work ID                 | Name of work                                                                                                                                   | Village      | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |            |                     | Technical Sanction Order/ letter |            |                     | Final Sanction Amount |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
|        |                         |                                                                                                                                                |              |                    |        |       |              | No.                           | Date       | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date       | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
|        |                         | ग्राम – बावलो का खेडा<br>ग्राम पंचायत – हुरडा                                                                                                  |              |                    |        |       |              |                               |            |                     |                                  |            |                     |                       |
| 22     | JC/HZL/RP/2024-25/17/22 | पेयजल पशु खेती निर्माण नवीन –<br>प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेती निर्माण घंटालो का खेडा के पास<br>ग्राम – हुरडा<br>ग्राम पंचायत – हुरडा      | हुरडा        | हुरडा              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 98                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |
| 23     | JC/HZL/RP/2024-25/17/23 | पेयजल पशु खेती निर्माण नवीन –<br>प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेती निर्माण बराठिया घाटा रास्ता पर<br>ग्राम – बराठिया<br>ग्राम पंचायत – बराठिया | बराठिया      | बराठिया            | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 81                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |
| 24     | JC/HZL/RP/2024-25/17/24 | पेयजल पशु खेती निर्माण नवीन –<br>प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेती निर्माण लूणा का खेडा<br>ग्राम – लूणा का खेडा<br>ग्राम पंचायत – बराठिया      | लूणा का खेडा | बराठिया            | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 78                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |
| 25     | JC/HZL/RP/2024-25/17/25 | पेयजल पशु खेती निर्माण नवीन –<br>प्रस्तावित स्थान – पेयजल                                                                                      | बराठिया      | बराठिया            | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 79                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |

| S. No. | Work ID                 | Name of work                                                                                                                                | Village       | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |            |                     | Technical Sanction Order/ letter |            |                     | Final Sanction Amount |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
|        |                         |                                                                                                                                             |               |                    |        |       |              | No.                           | Date       | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date       | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
|        |                         | पशु खेली निर्माण बराठिया<br>आजाद नगर मे<br>ग्राम – बराठिया<br>ग्राम पंचायत – बराठिया                                                        |               |                    |        |       |              |                               |            |                     |                                  |            |                     |                       |
| 26     | JC/HZL/RP/2024-25/17/26 | पेयजल पशु खेली निर्माण नवीन –<br>प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेली निर्माण बालापुरा<br>ग्राम – बालापुरा<br>ग्राम पंचायत – बराठिया           | बालापुरा      | बराठिया            | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 80                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |
|        |                         | पेयजल पशु खेली निर्माण नवीन –<br>प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेली निर्माण उर्जा का खेडा<br>ग्राम – उर्जा का खेडा<br>ग्राम पंचायत – बराठिया | उर्जा का खेडा | बराठिया            | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 77                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |
| 27     | JC/HZL/RP/2024-25/17/27 | पेयजल पशु खेली निर्माण नवीन –<br>प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेली निर्माण उर्जा का खेडा<br>ग्राम – उर्जा का खेडा<br>ग्राम पंचायत – बराठिया | उर्जा का खेडा | बराठिया            | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 77                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |
| 28     | JC/HZL/RP/2024-25/17/28 | पेयजल पशु खेली निर्माण नवीन –<br>प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेली निर्माण अमरतिया<br>ग्राम – अमरतिया<br>ग्राम पंचायत – बराठिया             | अमरतिया       | बराठिया            | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 76                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |
| 29     | JC/HZL/RP/2024-25/17/29 | पेयजल पशु खेली निर्माण नवीन –                                                                                                               | इन्द्रा का    | ऑगूचा              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 91                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |

| S. No. | Work ID                 | Name of work                                                                                                                       | Village   | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |            |                     | Technical Sanction Order/ letter |            |                     | Final Sanction Amount |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
|        |                         |                                                                                                                                    |           |                    |        |       |              | No.                           | Date       | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date       | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
|        |                         | प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेली निर्माण इन्द्रा का खेडा<br>ग्राम – इन्द्रा का खेडा<br>ग्राम पंचायत – आँगूचा                      | खेडा      |                    |        |       |              |                               |            |                     |                                  |            |                     |                       |
| 30     | JC/HZL/RP/2024-25/17/30 | पेयजल पशु खेली निर्माण नवीन –<br>प्रस्तावित स्थान – पेयजल पशु खेली निर्माण भगवानपुरा<br>ग्राम – भगवानपुरा<br>ग्राम पंचायत – आँगूचा | भगवानपुरा | आँगूचा             | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 3302-3303/12                  | 28/02/2024 | 0.43                | 92                               | 31/08/2023 | 0.43                | 0.43                  |
|        |                         |                                                                                                                                    |           |                    |        |       | योग          |                               |            | 12.9                |                                  |            | 12.9                | 12.9                  |

(अक्षरे बारह लाख नब्बे हजार मात्र)

#### निम्नांकित शर्तों की पालना की जाएँ :-

- स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएँ।
- कार्य अनुमोदित तकनीकी स्वीकृति अनुरूप ही करवाया जाएँ।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजना व कार्य का नाम, कार्य प्रारम्भ की दिनांक, कार्य की सम्भावित समाप्ति दिनांक आदि सूचना अंकित हो, प्रदर्श बोर्ड लगाना आवश्यक है। जिस पर स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, कार्य पूर्णता की अवधि आदि सूचना अंकित हो।
- राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013, विभागीय निर्देश, जीएफएण्डएआर के नियमों की शत- प्रतिशत पालना, परिपत्र एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।

5. विभागीय नियमों के अन्तर्गत प्रक्रिया एवं स्वीकृति राशि के अनुसार वर्णित समय सीमा में कार्य पूर्ण कराया जावें। कार्य के सम्पादन/प्रक्रिया/गतिविधि में विलम्ब होने पर सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी एवं उसके अधिकारी/कार्मिक जिम्मेवार होंगे। कार्य के पूर्ण होने में अप्रत्याशित अथवा तकनीकी कारणों से विलम्ब होने से यदि लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी उत्तरदायी होगी।
6. विवादग्रस्त निजी अथवा किसी समाज/वर्ग विशेष के स्थल पर कार्य होने की स्थिति में किसी भी परिस्थिति में कार्य नहीं कराया जावें। ऐसा होने की स्थिति में जिला कलक्टर भीलवाड़ा को सूचित करें अन्यथा इसके लिये कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार रहेगी।
7. स्वीकृत कार्य किसी भी अन्य योजना पूर्व में स्वीकृत है तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावे, इसकी सूचना कार्यालय जिला कलक्टर को अविलम्ब प्रस्तुत की जावें।
8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वर्तमान में जो कार्य की स्थिति है उसका अक्षांश व देशान्तर सहित कार्य के दोनो छोर पर फोटो लेने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जावें। प्रगतिरत्त कार्य एवं पूर्ण कार्य का एक ही एंगल से लिया गया फोटो यू0सी0 के साथ संलग्न किया जावें। इसी प्रकार निरीक्षणकर्ता अधिकारी के द्वारा जीपीएस युक्त दिनांकित फोटो भी लिया जावें।
9. कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ चैक लिस्ट समस्त प्रविष्टियों सहित आवश्यक रूप से संलग्न की जावें, चैक लिस्ट में अंकित निर्देशों की पालना की जावें।
10. माननीय एनजीटी प्रकरण हिन्दूस्तान जिक लि. पुर्नस्थापन योजना अन्तर्गत चिन्हित कार्यों का भुगतान माननीय एनजीटी के आदेश की अनुपालना में हिन्दुस्तान जिक लि. द्वारा जमा की गई राशि के अन्तर्गत निर्धारित पुर्नस्थापन फण्ड(संयुक्त बैंक खाता) में उपलब्ध राशि से किया जाएगा तथा
  - A. कार्य का कार्यादेश जारी होने और कार्य प्रारम्भ की सूचना प्राप्त होने तथा कार्य प्रारम्भ एवं प्रदर्श बोर्ड दोनो का जीपीएस युक्त फोटो प्राप्त होने व खनिज विभाग से STP का विकल्प प्राप्त होने पर कार्यादेश की 50% अग्रिम प्रथम किश्त की राशि जारी की जावेगी।
  - B. प्रथम किश्त का निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कार्यादेश का 30% राशि द्वितीय किश्त की जारी की जावेगी। कार्य पूर्णता की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड अनुसार कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कार्य की अवशेष राशि/अंतिम किश्त जारी की जावेगी।
11. कार्यकारी एजेन्सी के कनिष्ठ/सहायक/अधिक्षापी/अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी द्वारा विभागीय नॉर्म्स के अनुसार स्वीकृत कार्यों का निरीक्षण कर मासिक सूचना सदस्य सचिव को भेजेगे।
12. स्वीकृत राशि के विरुद्ध निर्धारित पुर्नस्थापन फण्ड(संयुक्त बैंक खाता) द्वारा रिलीज राशि का लेखा-जोखा विभागीय (सार्वजनिक निर्माण विभाग) निर्देश/नियम के अनुसार संधारण करेंगे।
13. कार्यों की प्रगति प्रतिमाह की 7 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जावें।
14. सृजित परिसम्पति का अनुरक्षण एवं मरम्मत की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यकारी संस्था/सम्बन्धित विभाग की होगी।
15. सामग्री क्रय – GEM Portal के माध्यम से कर राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानों की पालना की जावें।

16. कार्य समय पर प्रारम्भ, पूर्ण एवं गुणवत्ता की सुनिश्चितता करावें।

17. संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना द्वारा वित्तीय स्वीकृति अनुसार रिलीज राशि नियुक्त जिला स्तरीय एकरूपता समिति द्वारा कार्य क्रियान्वन एवम पूर्ण होने के समय अनुवीक्षण/मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने की शर्त के अधीन रहेगी।

(नमित मेहता)  
जिला कलक्टर एवं सदस्य संयुक्त समिति हिन्दुस्तान  
जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना  
भीलवाड़ा

क्रमांक : JC/HZL/RP/2024-25/ 534/1 - 534/10

दिनांक :- 21/06/2024

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सहायक जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा।
2. सदस्य सचिव निजी सहायक रा.प्र.नि.म. जयपुर।
3. सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी, हुरड़ा।
4. सम्बन्धित तहसीलदारा हुरड़ा।
5. जिला कोषाधिकारी, भीलवाड़ा।
6. विकास अधिकारी, ब्लॉक हुरड़ा, जिला-भीलवाड़ा।
7. श्री सुनील मीणा, सदस्य, संयुक्त समिति एवं वैज्ञानिक - डी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
8. क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म., भीलवाड़ा।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिन्दुस्तान जिंक लि., तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।
10. रक्षित पत्रावली।

(विनय कट्टा)  
13/6/24  
क्षेत्रीय अधिकारी एवं नोडल एजेंसी संयुक्त समिति  
रा.प्र.नि.म., भीलवाड़ा

संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना,

प्रकरण संख्या 226/2020 एवं पुर्नविचार आवेदन संख्या 06/2022, रामपुरा आगूचा माईन्स प्रभावित क्षेत्र,

कार्यालय, जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाडा।

क्रमांक : JC/HZL/RP/2024-25/

549

दिनांक :- 21/06/2024

वित्तीय स्वीकृति

संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना, प्रकरण संख्या 226/2020 एवं पुर्नविचार आवेदन संख्या 06/2022, के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा मा.रा. हरित अधिकरण में प्रस्तुत प्रभावित क्षेत्र हेतु पुनर्स्थापन योजना के अनुक्रम में निम्नांकित कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी। इस प्रशासनिक स्वीकृति के क्रम में अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, ग्रामीण खण्ड, भीलवाडा/शाहपुरा द्वारा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत की गई है। प्राप्त विस्तृत तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृतियों के आधार पर नीचे अंकित सारणी के 31 कार्य की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। :-

| S. No. | Work ID                    | Name of work                                                                                                                         | Village | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |                |                     | Technical Sanction Order/ letter |                |                     | Final Sanction Amount |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
|        |                            |                                                                                                                                      |         |                    |        |       |              | No.                           | Date           | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date           | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
| 1      | JC/HZL/RP/2024-25/PHED/4/1 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना निर्माण नवीन - (RTRWHS) प्रस्तावित स्थान - पी.एच. सी. आगूचा ग्राम - आगूचा ग्राम पंचायत - आगूचा वर्षा | आगूचा   | आगूचा              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 325<br>9-<br>326<br>6         | 28.02.<br>2024 | 2.48                | 26                               | 30.04.2<br>024 | 2.48                | 2.48                  |

| S. No. | Work ID                     | Name of work                                                                                                                              | Village      | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |             |                     | Technical Sanction Order/ letter |             |                     | Final Sanction Amount |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
|        |                             |                                                                                                                                           |              |                    |        |       |              | No.                           | Date        | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date        | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
| 2      | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/4/2 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना निर्माण नवीन – (RTRWHS) प्रस्तावित स्थान राजकीय यु.पी.एस. भेरुखेडा ग्राम भेरुखेडा –1 ग्राम पंचायत – आगूचा | भेरुखेडा –1  | आगूचा              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 325 9-326 6                   | 28.02. 2024 | 2.86                | 27                               | 30.04.2 024 | 2.86                | 2.86                  |
| 3      | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/4/3 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना निर्माण नवीन – (RTRWHS) प्रस्तावित स्थान – आंगनबाडी पारसरामपुरा ग्राम – पारसरामपुरा ग्राम पंचायत – आगूचा  | पारसराम पुरा | आगूचा              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 325 9-326 6                   | 28.02. 2024 | 2.30                | 28                               | 30.04.2 024 | 2.30                | 2.3                   |
| 4      | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/4/4 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना निर्माण नवीन – (RTRWHS) प्रस्तावित स्थान आंगनबाडी भगवानपुरा ग्राम – भगवानपुरा ग्राम पंचायत – आगूचा        | भगवानपुरा    | आगूचा              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 325 9-326 6                   | 28.02. 2024 | 3.04                | 29                               | 30.04.2 024 | 3.04                | 3.04                  |
| 5      | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/4/5 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना निर्माण नवीन – (RTRWHS) प्रस्तावित स्थान – राजकीय यु.पी.एस.                                               |              |                    |        |       |              |                               |             |                     |                                  |             |                     |                       |

| S. No. | Work ID                    | Name of work                                                                                                                                                           | Village          | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |                |                     | Technical Sanction Order/ letter |                |                     | Final Sanction Amount |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
|        |                            |                                                                                                                                                                        |                  |                    |        |       |              | No.                           | Date           | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date           | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
|        |                            | भगवानपुरा<br>ग्राम – भगवानपुरा<br>ग्राम पंचायत – आगूचा                                                                                                                 |                  |                    |        |       |              |                               |                |                     |                                  |                |                     |                       |
| 6      | JC/HZL/RP/2024-25/PHED/4/6 | रूफ टॉप वर्षा जल<br>संचयन अवसंरचना निर्माण<br>नवीन – (RTRWHS)<br>प्रस्तावित स्थान –<br>राजकीय पी.एस. रेगर<br>मोहाल<br>ग्राम – हुरडा<br>ग्राम पंचायत – हुरडा            | हुरडा            | हुरडा              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 325<br>9-<br>326<br>6         | 28.02.<br>2024 | 2.44                | 30                               | 30.04.2<br>024 | 2.44                | 2.44                  |
| 7      | JC/HZL/RP/2024-25/PHED/4/7 | रूफ टॉप वर्षा जल<br>संचयन अवसंरचना निर्माण<br>नवीन – (RTRWHS)<br>प्रस्तावित स्थान – पी.एच.<br>सी. हुरडा<br>ग्राम – हुरडा<br>ग्राम पंचायत – हुरडा                       | हुरडा            | हुरडा              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 325<br>9-<br>326<br>6         | 28.02.<br>2024 | 2.48                | 31                               | 30.04.2<br>024 | 2.48                | 2.48                  |
| 8      | JC/HZL/RP/2024-25/PHED/4/8 | रूफ टॉप वर्षा जल<br>संचयन अवसंरचना निर्माण<br>नवीन – (RTRWHS)<br>प्रस्तावित स्थान –<br>राजकीय पी.एस. बावलो<br>का खेडा<br>ग्राम – बावलो का खेडा<br>ग्राम पंचायत – हुरडा | बावलो का<br>खेडा | हुरडा              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 325<br>9-<br>326<br>6         | 28.02.<br>2024 | 1.50                | 32                               | 30.04.2<br>024 | 1.50                | 1.5                   |

| S. No. | Work ID                      | Name of work                                                                                                                                                             | Village   | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |             |                     | Technical Sanction Order/ letter |             |                     | Final Sanction Amount |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
|        |                              |                                                                                                                                                                          |           |                    |        |       |              | No.                           | Date        | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date        | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
| 9      | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/4/9  | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना निर्माण नवीन – (RTRWHS)<br>प्रस्तावित स्थान – राजकीय पी.एस. खाती खेडा<br>ग्राम – खाती खेडा<br>ग्राम पंचायत – खाती खेडा                   | खाती खेडा | हुरडा              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 325 9-326 6                   | 28.02. 2024 | 2.69                | 33                               | 30.04.2 024 | 2.69                | 2.69                  |
| 10     | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/4/10 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना निर्माण नवीन – (RTRWHS)<br>प्रस्तावित स्थान – राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटडी नया भवन<br>ग्राम – कोटडी<br>ग्राम पंचायत – कोटडी | कोटडी     | कोटडी              | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 325 9-326 6                   | 28.02. 2024 | 2.56                | 34                               | 30.04.2 024 | 2.56                | 2.56                  |
| 11     | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/4/11 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना निर्माण नवीन – (RTRWHS)<br>प्रस्तावित स्थान – राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय भोजरास<br>ग्राम – भोजरास                               | भोजरास    | भोजरास             | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 325 9-326 6                   | 28.02. 2024 | 2.59                | 35                               | 30.04.2 024 | 2.59                | 2.59                  |

| S. No. | Work ID                     | Name of work                                                                                                                                                  | Village | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |            |                     | Technical Sanction Order/ letter |            |                     | Final Sanction Amount |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                               |         |                    |        |       |              | No.                           | Date       | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date       | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
|        |                             | ग्राम पंचायत - भोजरास                                                                                                                                         |         |                    |        |       |              |                               |            |                     |                                  |            |                     |                       |
| 12     | JC/HZL/RP/2024-25/PHED/4/12 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना निर्माण नवीन - (RTRWHS) प्रस्तावित स्थान - राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बराठिया ग्राम - बराठिया ग्राम पंचायत - बराठिया | बराठिया | बराठिया            | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 325 9-326 6                   | 28.02.2024 | 3.16                | 36                               | 30.04.2024 | 3.16                | 3.16                  |
| 13     | JC/HZL/RP/2024-25/PHED/4/13 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना निर्माण नवीन - (RTRWHS) प्रस्तावित स्थान - राजकीय पी.एच.सी. बराठिया ग्राम - बराठिया ग्राम पंचायत - बराठिया                    | बराठिया | बराठिया            | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 325 9-326 6                   | 28.02.2024 | 2.44                | 37                               | 30.04.2024 | 2.44                | 2.44                  |
| 14     | JC/HZL/RP/2024-25/PHED/4/14 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना निर्माण नवीन - (RTRWHS) प्रस्तावित स्थान - पी.एच.सी. अमरतिया ग्राम - अमरतिया ग्राम पंचायत - बराठिया                           | अमरतिया | बराठिया            | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 325 9-326 6                   | 28.02.2024 | 2.47                | 38                               | 30.04.2024 | 2.47                | 2.47                  |

| S. No. | Work ID                      | Name of work                                                                                                                                 | Village  | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |             |                     | Technical Sanction Order/ letter |             |                     | Final Sanction Amount |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
|        |                              |                                                                                                                                              |          |                    |        |       |              | No.                           | Date        | Amount (Rs In Laes) | No                               | Date        | Amount (Rs In Laes) | (Rs In Laes)          |
| 15     | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/4/15 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना निर्माण नवीन – (RTRWHS) प्रस्तावित स्थान – राजकीय यु.पी.एस. बालापुरा ग्राम – बालापुरा ग्राम पंचायत – बराठिया | बालापुरा | बराठिया            | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 325 9-326 6                   | 28.02. 2024 | 3.0                 | 39                               | 30.04.2 024 | 3.0                 | 3.0                   |
| 16     | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/4/16 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना निर्माण नवीन – (RTRWHS) प्रस्तावित स्थान – आंगनबाडी बालापुरा ग्राम – बालापुरा ग्राम पंचायत – बराठिया         |          |                    |        |       |              |                               |             |                     |                                  |             |                     |                       |
| 17     | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/4/17 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना निर्माण नवीन – (RTRWHS) प्रस्तावित स्थान – अटल सेवा केन्द्र/जी.पी. भवन ग्राम – बडला ग्राम पंचायत – बडला      | बडला     | बडला               | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 325 9-326 6                   | 28.02. 2024 | 2.39                | 40                               | 30.04.2 024 | 2.39                | 2.39                  |
| 18     | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/4/18 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना निर्माण नवीन – (RTRWHS)                                                                                      | बडला     | बडला               | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 325 9-326 6                   | 28.02. 2024 | 2.49                | 41                               | 30.04.2 024 | 2.49                | 2.49                  |

| S. No. | Work ID                         | Name of work                                                                                                                                                         | Village         | Gram Panchayat/ NP | Tehsil | Block | Constituency | Administrative Sanction Order |                |                     | Technical Sanction Order/ letter |                |                     | Final Sanction Amount |
|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------|-------|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
|        |                                 |                                                                                                                                                                      |                 |                    |        |       |              | No.                           | Date           | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date           | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
|        |                                 | प्रस्तावित स्थान –<br>राजकीय आदर्श उच्च<br>माध्यमिक विद्यालय बडला<br>ग्राम – बडला<br>ग्राम पंचायत – बडला                                                             |                 |                    |        |       |              |                               |                |                     |                                  |                |                     |                       |
| 19     | JC/HZL/RP/2024-25/<br>PHED/4/19 | रूफ टॉप वर्षा जल<br>संचयन अवसंरचना निर्माण<br>नवीन – (RTRWHS)<br>प्रस्तावित स्थान –<br>राजकीय पी.एस. छतरपुरा<br>ग्राम – छतरपुरा<br>ग्राम पंचायत – बडला               | छतरपुरा         | बडला               | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 325<br>9-<br>326<br>6         | 28.02.<br>2024 | 2.31                | 42                               | 30.04.2<br>024 | 2.31                | 2.31                  |
| 20     | JC/HZL/RP/2024-25/<br>PHED/4/20 | रूफ टॉप वर्षा जल<br>संचयन अवसंरचना निर्माण<br>नवीन – (RTRWHS)<br>प्रस्तावित स्थान –<br>राजकीय यु.पी.एस.<br>सुल्तानपुरा<br>ग्राम – सुल्तानपुरा<br>ग्राम पंचायत – बडला | सुल्तानपुरा     | बडला               | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 325<br>9-<br>326<br>6         | 28.02.<br>2024 | 2.35                | 43                               | 30.04.2<br>024 | 2.35                | 2.35                  |
| 21     | JC/HZL/RP/2024-25/<br>PHED/4/21 | रूफ टॉप वर्षा जल<br>संचयन अवसंरचना निर्माण<br>नवीन – (RTRWHS)<br>प्रस्तावित स्थान –<br>राजकीय यु.पी.एस.<br>गजसिंहपुरा                                                | गजसिंहपुरा<br>I | बडला               | हुरडा  | हुरडा | आसींद        | 325<br>9-<br>326<br>6         | 28.02.<br>2024 | 2.37                | 44                               | 30.04.2<br>024 | 2.37                | 2.37                  |

| S. No. | Work ID                         | Name of work                                                                                                                                                                    | Village  | Gram Panchayat/ NP | Tehsil          | Block           | Constituency | Administrative Sanction Order |                |                     | Technical Sanction Order/ letter |                |                     | Final Sanction Amount |
|--------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------|
|        |                                 |                                                                                                                                                                                 |          |                    |                 |                 |              | No.                           | Date           | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date           | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
|        |                                 | ग्राम – गजसिंहपुरा<br>ग्राम पंचायत – बडला                                                                                                                                       |          |                    |                 |                 |              |                               |                |                     |                                  |                |                     |                       |
| 22     | JC/HZL/RP/2024-25/<br>PHED/4/22 | रूफ टॉप वर्षा जल<br>संचयन अवसंरचना निर्माण<br>नवीन – (RTRWHS)<br>प्रस्तावित स्थान –<br>राजकीय उच्च माध्यमिक<br>विद्यालय रूपाहेली<br>ग्राम – रूपाहेली<br>ग्राम पंचायत – रूपाहेली | रूपाहेली | रूपाहेली           | हुरडा           | हुरडा           | आसींद        | 325<br>9-<br>326<br>6         | 28.02.<br>2024 | 3.16                | 45                               | 30.04.2<br>024 | 3.16                | 3.16                  |
| 23     | JC/HZL/RP/2024-25/<br>PHED/4/23 | रूफ टॉप वर्षा जल<br>संचयन अवसंरचना निर्माण<br>नवीन – (RTRWHS)<br>प्रस्तावित स्थान –<br>राजकीय आदर्श पी.एच.सी.<br>रूपाहेली<br>ग्राम – रूपाहेली<br>ग्राम पंचायत – रूपाहेली        | रूपाहेली | रूपाहेली           | हुरडा           | हुरडा           | आसींद        | 325<br>9-<br>326<br>6         | 28.02.<br>2024 | 2.48                | 46                               | 30.04.2<br>024 | 2.48                | 2.48                  |
| 24     | JC/HZL/RP/2024-25/<br>PHED/4/24 | रूफ टॉप वर्षा जल<br>संचयन अवसंरचना निर्माण<br>नवीन – (RTRWHS)<br>प्रस्तावित स्थान –<br>राजकीय आदर्श उच्च<br>माध्यमिक विद्यालय<br>इताड़िया<br>ग्राम – इताड़िया                   | इटाड़िया | इटाड़िया           | फूलियां<br>कलां | फूलियां<br>कलां | शाहपुरा      | 325<br>9-<br>326<br>6         | 28.02.<br>2024 | 2.95                | 47                               | 30.04.2<br>024 | 2.95                | 2.95                  |

| S. No. | Work ID                      | Name of work                                                                                                                                                       | Village      | Gram Panchayat/ NP | Tehsil       | Block       | Constituency | Administrative Sanction Order |             |                     | Technical Sanction Order/ letter |             |                     | Final Sanction Amount |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
|        |                              |                                                                                                                                                                    |              |                    |              |             |              | No.                           | Date        | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date        | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
|        |                              | ग्राम पंचायत – इताड़िया                                                                                                                                            |              |                    |              |             |              |                               |             |                     |                                  |             |                     |                       |
| 25     | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/4/25 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना निर्माण नवीन – (RTRWHS)<br>प्रस्तावित स्थान – राजकीय गर्ल्स विद्यालय इटाड़िया<br>ग्राम – इताड़िया<br>ग्राम पंचायत – इताड़िया       | इटाड़िया     | इटाड़िया           | फूलियां कलां | फूलिया कलां | शाहपुरा      | 325 9-326 6                   | 28.02. 2024 | 2.44                | 48                               | 30.04.2 024 | 2.44                | 2.44                  |
| 26     | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/4/26 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना निर्माण नवीन – (RTRWHS)<br>प्रस्तावित स्थान – राजकीय यु.पी.एस. अरनिया चोहान<br>ग्राम – अरनिया चोहान<br>ग्राम पंचायत – अरनिया चोहान | अरनिया चोहान | अरनिया चोहान       | फूलियां कलां | फूलिया कलां | शाहपुरा      | 325 9-326 6                   | 28.02. 2024 | 2.41                | 49                               | 30.04.2 024 | 2.41                | 2.41                  |
| 27     | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/4/27 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना निर्माण नवीन – (RTRWHS)<br>प्रस्तावित स्थान – राजकीय यु.पी.एस. अरवड<br>ग्राम – अरवड<br>ग्राम पंचायत – अरवड                         | अरवड         | अरवड               | फूलियां कलां | फूलिया कलां | शाहपुरा      | 325 9-326 6                   | 28.02. 2024 | 2.42                | 50                               | 30.04.2 024 | 2.42                | 2.42                  |

| S. No. | Work ID                      | Name of work                                                                                                                                         | Village | Gram Panchayat/ NP | Tehsil       | Block       | Constituency | Administrative Sanction Order |             |                     | Technical Sanction Order/ letter |             |                     | Final Sanction Amount |
|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
|        |                              |                                                                                                                                                      |         |                    |              |             |              | No.                           | Date        | Amount (Rs In Lacs) | No                               | Date        | Amount (Rs In Lacs) | (Rs In Lacs)          |
| 28     | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/4/28 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना निर्माण नवीन – (RTRWHS) प्रस्तावित स्थान – राजकीय यु.पी.एस. कल्याणपुरा ग्राम – अरवड ग्राम पंचायत – अरवड              | अरवड    | अरवड               | फूलियां कलां | फूलिया कलां | शाहपुरा      | 325 9-326 6                   | 28.02. 2024 | 2.36                | 51                               | 30.04.2 024 | 2.36                | 2.36                  |
| 29     | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/4/29 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना निर्माण नवीन – (RTRWHS) प्रस्तावित स्थान – राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय अरवड ग्राम – अरवड ग्राम पंचायत – अरवड | अरवड    | अरवड               | फूलियां कलां | फूलिया कलां | शाहपुरा      | 325 9-326 6                   | 28.02. 2024 | 2.67                | 52                               | 30.04.2 024 | 2.67                | 2.67                  |
| 30     | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/4/30 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना निर्माण नवीन – (RTRWHS) प्रस्तावित स्थान – राजकीय गर्ल्स यु.पी.एस कोठिया ग्राम – कोठिया ग्राम पंचायत – कोठिया        | कोठिया  | कोठिया             | फूलियां कलां | फूलिया कलां | शाहपुरा      | 325 9-326 6                   | 28.02. 2024 | 2.39                | 53                               | 30.04.2 024 | 2.39                | 2.39                  |

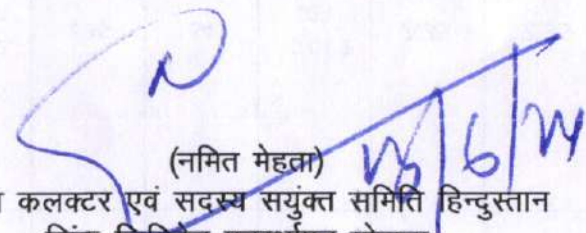
| S. No. | Work ID                      | Name of work                                                                                                                                           | Village    | Gram Panchayat/ NP | Tehsil      | Block       | Constituency | Administrative Sanction Order |             |                     | Technical Sanction Order/ letter |             |                     | Final Sanction Amount |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|
|        |                              |                                                                                                                                                        |            |                    |             |             |              | No.                           | Date        | Amount (Rs In Laes) | No                               | Date        | Amount (Rs In Laes) | (Rs In Laes)          |
| 31     | JC/HZL/RP/2024-25/ PHED/4/31 | रूफ टॉप वर्षा जल संचयन अवसंरचना निर्माण नवीन – (RTRWHS) प्रस्तावित स्थान – राजकीय गर्ल्स यु.पी.एस. खेडा पलोला ग्राम – खेडा पलोला ग्राम पंचायत – कोठिया | खेडा पलोला | कोठिया             | फूलिया कलां | फूलिया कलां | शाहपुरा      | 325 9- 326 6                  | 28.02. 2024 | 2.35                | 54                               | 30.04.2 024 | 2.35                | 2.35                  |
|        |                              |                                                                                                                                                        |            |                    |             |             | योग          |                               |             | 73.55               |                                  |             | 73.55               | 73.55                 |

(अक्षरे तिहतर लाख पचपन हजार मात्र)

#### निम्नांकित शर्तों की पालना की जावे :-

- स्वीकृत राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं किया जावे।
- कार्य अनुमोदित तकनीकी स्वीकृति अनुरूप ही करवाया जावे।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व योजना व कार्य का नाम, कार्य प्रारम्भ की दिनांक, कार्य की सम्भावित समाप्ति दिनांक आदि सूचना अंकित हो, प्रदर्श बोर्ड लगाना आवश्यक है। जिस पर स्वीकृत कार्य, स्वीकृत राशि, कार्य पूर्णता की अवधि आदि सूचना अंकित हो।
- राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 2013, विभागीय निर्देश, जीएफएण्डएआर के नियमों की शर्त- प्रतिशत पालना, परिपत्र एवं दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- विभागीय नियमों के अन्तर्गत प्रक्रिया एवं स्वीकृति राशि के अनुसार वर्णित समय सीमा में कार्य पूर्ण कराया जावे। कार्य के सम्पादन/प्रक्रिया/गतिविधि में विलम्ब होने पर सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी एवं उसके अधिकारी/कार्मिक जिम्मेवार होंगे। कार्य के पूर्ण होने में अप्रत्याशित अथवा तकनीकी कारणों से विलम्ब होने से यदि लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी उत्तरदायी होगी।
- विवादग्रस्त निजी अथवा किसी समाज/वर्ग विशेष के स्थल पर कार्य होने की स्थिति में किसी भी परिस्थिति में कार्य नहीं कराया जावे। ऐसा होने की स्थिति में जिला कलक्टर भीलवाड़ा को सूचित करें अन्यथा इसके लिये कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार रहेगी।
- स्वीकृत कार्य किसी भी अन्य योजना पूर्व में स्वीकृत है तो कार्य प्रारम्भ नहीं किया जावे, इसकी सूचना कार्यालय जिला कलक्टर को अविलम्ब प्रस्तुत की जावे।

8. कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व वर्तमान में जो कार्य की स्थिति है उसका अक्षांश व देशान्तर सहित कार्य के दोनो छोर पर फोटो लेने के बाद ही कार्य प्रारम्भ किया जावे। प्रगतिस्त कार्य एवं पूर्ण कार्य का एक ही एंगल से लिया गया फोटो यू0सी0 के साथ संलग्न किया जावे। इसी प्रकार निरीक्षणकर्ता अधिकारी के द्वारा जीपीएस युक्त दिनांकित फोटो भी लिया जावे।
9. कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ चैक लिस्ट समस्त प्रविष्टियों सहित आवश्यक रूप से संलग्न की जावे, चैक लिस्ट में अंकित निर्देशो की पालना की जावे।
10. माननीय एनजीटी प्रकरण हिन्दुस्तान जिंक लि. पुनर्स्थापन योजना अन्तर्गत चिन्हित कार्यों का भुगतान माननीय एनजीटी के आदेश की अनुपालना में हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा जमा की गई राशि के अन्तर्गत निर्धारित पुनर्स्थापन फण्ड(संयुक्त बैंक खाता) में उपलब्ध राशि से किया जाएगा तथा
  - A. कार्य का कार्यादेश जारी होने और कार्य प्रारम्भ की सूचना प्राप्त होने तथा कार्य प्रारम्भ एवं प्रदर्श बोर्ड दोनो का जीपीएस युक्त फोटो प्राप्त होने व खनिज विभाग से STP का विकल्प प्राप्त होने पर कार्यादेश की 50% अग्रिम प्रथम किश्त की राशि जारी की जावेगी।
  - B. प्रथम किश्त का निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कार्यादेश का 30% राशि द्वितीय किश्त की जारी की जावेगी। कार्य पूर्णता की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया/मापदण्ड अनुसार कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर कार्य की अवशेष राशि/अंतिम किश्त जारी की जावेगी।
11. कार्यकारी एजेन्सी के कनिष्ठ/सहायक/अधिक्षापी/अधीक्षण अभियन्ता स्तर के अधिकारी द्वारा विभागीय नॉर्म्स के अनुसार स्वीकृत कार्यों का निरीक्षण कर मासिक सूचना सदस्य सचिव को भेजेगे।
12. स्वीकृत राशि के विरुद्ध निर्धारित पुनर्स्थापन फण्ड(संयुक्त बैंक खाता) द्वारा रिलीज राशि का लेखा-जोखा विभागीय (सार्वजनिक निर्माण विभाग) निर्देश/नियम के अनुसार संधारण करेंगे।
13. कार्यों की प्रगति प्रतिमाह की 7 तारीख तक आवश्यक रूप से प्रेषित की जावे।
14. सृजित परिसम्पति का अनुरक्षण एवं मरम्मत की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यकारी संस्था/सम्बन्धित विभाग की होगी।
15. सामग्री क्रय - GEM Portal के माध्यम से कर राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2013 के प्रावधानो की पालना की जावे।
16. कार्य समय पर प्रारम्भ, पूर्ण एवं गुणवत्ता की सुनिश्चितता करावे।
17. संयुक्त समिति, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना द्वारा वित्तीय स्वीकृति अनुसार रिलीज राशि नियुक्त जिला स्तरीय एकरूपता समिति द्वारा कार्य क्रियान्वन एवम पूर्ण होने के समय अनुवीक्षण/मूल्यांकन रिपोर्ट संतोषजनक पाए जाने की शर्त के अधीन रहेगी।

  
(नमित मेहता)  
जिला कलक्टर एवं सदस्य संयुक्त समिति हिन्दुस्तान  
जिंक लिमिटेड पुनर्स्थापन योजना  
भीलवाड़ा

क्रमांक : JC/HZL/RP/2024-25/ 550/1 - 550/15

दिनांक :- 21/06/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सहायक जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा/शाहपुरा।
2. सदस्य सचिव निजी सहायक रा.प्र.नि.म. जयपुर।
3. संबंधित उपखण्ड अधिकारी, हुरड़ा/फुलियां कलां।
4. संबंधित तहसीलदार हुरड़ा/फुलियां कलां।
5. जिला कोषाधिकारी, भीलवाड़ा
6. अधीक्षण अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, वृत्त भीलवाड़ा।
7. अधिषाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड/ग्रामीण खण्ड, भीलवाड़ा/शाहपुरा।
8. श्री सुनील मीणा, सदस्य, संयुक्त समिति एवं वैज्ञानिक - डी, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय निदेशालय, भोपाल, मध्यप्रदेश।
9. क्षेत्रीय अधिकारी रा.प्र.नि.म. भीलवाड़ा।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, हिन्दुस्तान जिंक लि., तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा।
11. रक्षित पत्रावली।

  
13/6/24

(विनय कट्टा)

क्षेत्रीय अधिकारी एवं नोडल एजेंसी संयुक्त समिति  
रा.प्र.नि.म., भीलवाड़ा